

अध्याय I

राज्य सरकार का वित्त प्रबन्ध

राज्य के सामाजिक संकेतक

भौगोलिक क्षेत्रफल (342.24 हजार वर्ग किलोमीटर) की दृष्टि से राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा तथा जनसंख्या की दृष्टि से आठवां राज्य है। राज्य की जनसंख्या सामान्य श्रेणी राज्यों¹ की औसत दशकीय वृद्धि दर 12.46 प्रतिशत के विरुद्ध 15.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुये वर्ष 2009 में 6.63 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019 में 7.64 करोड़ हो गई। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 14.7 प्रतिशत थी जो कि अखिल भारतीय औसत 21.9 प्रतिशत से कम थी। साक्षरता दर 60.4 प्रतिशत (2001 की जनगणना) से बढ़कर 66.1 प्रतिशत (2011 की जनगणना) हो गई, तथापि, यह इसी अवधि के दौरान अखिल भारतीय औसत 73 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशत अंक नीचे थी। वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय ₹ 1,21,581 थी जो कि सामान्य श्रेणी राज्यों की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,43,002 की तुलना में कम थी। राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक संकेतक **परिशिष्ट 1.1 (अ)** में दिए गए हैं। 18 सामान्य श्रेणी के राज्यों के मध्य तुलना को **परिशिष्ट 1.1 (ब)** में दर्शाया गया है।

राज्य के आर्थिक संकेतक

राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद² (जीएसडीपी) की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है क्योंकि यह राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर को दर्शाती है। स्थिर मूल्यों के साथ-साथ वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में राज्य की जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर की प्रवृत्ति को **तालिका 1.1** में इंगित किया गया है।

तालिका 1.1: जीएसडीपी की तुलना में जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्तमान मूल्य					
भारत की जीडीपी [#] (₹ करोड़ में)	1,24,67,959	1,37,71,874 [#]	1,53,62,386 ^{##}	1,70,95,005 ^{&}	1,90,10,164 [£]
जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.99	10.46	11.55	11.28	11.20
राज्य की जीएसडीपी [@] (₹ करोड़ में)	6,15,642	6,81,485	7,58,809 [#]	8,35,558 ^{##}	9,29,124 ^{\$}
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.73	10.70	11.35	10.11	11.20

1 सामान्य श्रेणी राज्य: (i) आन्ध्र प्रदेश, (ii) बिहार, (iii) छत्तीसगढ़, (iv) गोवा, (v) गुजरात, (vi) हरियाणा, (vii) झारखण्ड, (viii) कर्नाटक, (ix) केरल, (x) मध्य प्रदेश, (xi) महाराष्ट्र, (xii) उड़ीसा, (xiii) पंजाब, (xiv) राजस्थान, (xv) तमिलनाडु, (xvi) तेलंगाना (xvii) उत्तर प्रदेश तथा (xviii) पश्चिम बंगाल।

2 एक निर्धारित समयावधि में राज्य के भीतर आधिकारिक तौर पर मान्य उत्पादित सभी अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) है।

संशोधित अनुमान-III

संशोधित अनुमान-II

& संशोधित अनुमान-I

£ अनन्तिम अनुमान

\$ द्वितीय अग्रिम अनुमान

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
जीडीपी में राज्य का अंशदान	4.94	4.95	4.94	4.89	4.89
स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011-12)					
भारत की जीडीपी [#] (₹ करोड़ में)	1,05,27,674	1,13,69,493 [#]	1,22,98,327 ^{##}	1,31,79,857 ^{&}	1,40,77,586 [£]
जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.41	8.00	8.17	7.17	6.81
राज्य की जीएसडीपी [@] (₹ करोड़ में)	5,21,509	5,63,340	5,95,100 [#]	6,32,921 ^{##}	6,79,314 [§]
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.26	8.02	5.64	6.36	7.33
जीडीपी में राज्य की भागीदारी	4.95	4.95	4.84	4.80	4.83

@ आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार

स्रोत: # दिनांक 01.08.2019 को भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से लिये गये जीएसडीपी के आंकड़ें।

वर्ष 2018-19 के दौरान, स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी की वृद्धि दर (7.33 प्रतिशत) भारत की जीडीपी वृद्धि दर (6.81 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी। तथापि, वर्तमान मूल्यों पर भारत की जीडीपी वृद्धि दर एवं जीएसडीपी की वृद्धि दर (11.20 प्रतिशत) समान थी। पिछले 5 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जीडीपी में राज्य का योगदान लगातार 5 प्रतिशत के भीतर रहा।

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्थान सरकार के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य तथा गत पाँच वर्षों की समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष के सम्बन्ध में मुख्य राजकोषीय समग्रों में दृष्टिगत् परिवर्तनों के विश्लेषण को प्रस्तुत करता है। राजस्थान सरकार के वार्षिक लेखों में वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे शामिल होते हैं। वित्त लेखाओं के प्रारूपों को दो खण्डों (खण्ड I में सरकार के सारांशीकृत वित्तीय विवरण है तथा खण्ड II विस्तृत वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करता है) में विभाजित किया गया है। **परिशिष्ट 1.2 (भाग अ) में सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप को दर्शाया गया है एवं परिशिष्ट 1.2 (भाग ब) में वित्त लेखों का खाका दर्शाया गया है।**

इस अध्याय की संरचना चार भागों में है।

- राजकोषीय संव्यवहारों के सारांश एवं समीक्षा वर्णित है।

(अनुच्छेद 1.2)

- राज्य के संसाधनों में राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं लोक लेखे प्राप्तियों के विवरणों को समाविष्ट किया गया है।

(अनुच्छेद 1.3 से 1.6)

संशोधित अनुमान-III

संशोधित अनुमान-II

& संशोधित अनुमान-I

£ अनन्तिम अनुमान

§ द्वितीय अग्रिम अनुमान

- संसाधनों का उपयोग व्यय की गुणवत्ता तथा सरकारी व्यय एवं निवेश के वित्तीय विश्लेषण से सम्बन्धित है।

(अनुच्छेद 1.7 से 1.9)

- वित्तीय स्थिति में परिसम्पत्तियों और देयताएँ, राजकोषीय असन्तुलन तथा ऋण प्रबन्धन सम्मिलित है।

(अनुच्छेद 1.10 से 1.12)

1.2 वर्ष 2018-19 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश

राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश राजकोषीय स्थिति का परिदृश्य प्रस्तुत करता है, बजट अनुमानों की वास्तविक से तुलना, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग तथा प्रमुख परियोजनाओं/नीतिगत पहलों की समीक्षा एवं बजट भाषण (2018-19) पर की गई कार्यवाही की स्थिति के बारे में विस्तृत विवरण **उप अनुच्छेदों 1.2.1 से 1.2.4** में दिया गया है।

तालिका 1.2, गत वर्ष (2017-18) की तुलना में वर्तमान वर्ष (2018-19) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय संव्यवहारों के संक्षिप्त विवरण को प्रस्तुत करती है, जबकि **परिशिष्ट 1.3** वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के सारांश को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.2: वर्ष 2018-19 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश

(₹ करोड़ में)

	प्राप्तियाँ		संवितरण	
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
अनुभाग-अ: राजस्व लेखा				
कर राजस्व	50,605.41	57,380.34	सामान्य सेवायें	43,450.36
कर-भिन्न राजस्व	15,733.72	18,603.01	सामाजिक सेवायें	53,064.07
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	37,028.01	41,852.35	आर्थिक सेवायें	49,326.98
भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	23,940.04	20,037.32	सहायतार्थ-अनुदान एवं अंशदान	0.11
योग अनुभाग-अ राजस्व प्राप्तियाँ	1,27,307.18	1,37,873.02	योग अनुभाग-अ राजस्व व्यय	1,45,841.52
अनुभाग-ब : पूँजीगत लेखा एवं अन्य				
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	16.61	20.13	पूँजीगत परिव्यय	20,623.28
कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	15,133.41	15,158.41	संवितरित कर्जें तथा अग्रिम	1,334.02
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	28,556.57	37,846.82	लोक ऋण की पुनर्दायगी *	11,673.66
आकस्मिकता निधि	-	-	आकस्मिकता निधि	-
लोक लेखा प्राप्तियाँ#	1,56,811.26	1,70,527.88	लोक लेखा संवितरण#	1,47,088.02
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	8,112.46	9,376.99	अन्तिम रोकड़ शेष	9,376.99
योग अनुभाग-ब प्राप्तियाँ	2,08,630.31	2,32,930.23	योग अनुभाग-ब संवितरण	1,90,095.97
कुल योग (अ+ब)	3,35,937.49	3,70,803.25	कुल योग (अ+ब)	3,35,937.49

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

* मार्गोपाय अग्रिम और अधिविकर्ष के अन्तर्गत निवल संव्यवहारों को छोड़कर।

लोक लेखा प्राप्तियों/संवितरणों की राशि सकल आधार पर तालिका 1.2 में दर्शाई गई है, जबकि अन्य तालिकाओं/अनुच्छेदों में, इन्हें निवल आधार पर दर्शाया गया है।

वर्ष 2018-19 में राजकोषीय संव्यवहारों की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं:

- गत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 8.3 प्रतिशत (₹ 10,565.84 करोड़) की वृद्धि हुई।
- गत वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में 14.4 प्रतिशत (₹ 20,931.67 करोड़) की वृद्धि हुई।
- गत वर्ष की तुलना में पूँजीगत परिव्यय में 4.8 प्रतिशत (₹ 985.08 करोड़) की कमी हुई।
- लोक ऋण प्राप्तियों एवं लोक ऋण की पुर्नअदायगी में गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 32.5 प्रतिशत (₹ 9,290.25 करोड़) एवं 44.9 प्रतिशत (₹ 5,241.41 करोड़) की वृद्धि हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियों एवं लोक लेखा संवितरणों में गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 8.7 प्रतिशत (₹ 13,716.62 करोड़) तथा 9.2 प्रतिशत (₹ 13,482.20 करोड़) की वृद्धि हुई।
- गत वर्ष की तुलना में रोकड़ शेष में 38.2 प्रतिशत (₹ 3,583.24 करोड़) की कमी हुई।

जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों/राजस्व व्यय/पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियों को वर्तमान के साथ-साथ स्थिर मूल्यों³ पर तालिका 1.3 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.3: जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों/राजस्व व्यय/पूँजीगत व्ययों की प्रवृत्तियाँ

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
जीएसडीपी वर्तमान मूल्यों पर (₹ करोड़ में)	6,15,642	6,81,485	7,58,809	8,35,558	9,29,124
जीएसडीपी स्थिर मूल्यों पर (₹ करोड़ में)	5,21,509	5,63,340	5,95,100	6,32,921	6,79,314
जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ					
राजस्व प्राप्तियाँ वर्तमान मूल्यों पर (₹ करोड़ में)	91,327	1,00,285	1,09,026	1,27,307	1,37,873
वर्तमान मूल्यों पर राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	22.63	9.81	8.72	16.77	8.30
राजस्व प्राप्तियाँ स्थिर मूल्यों पर (₹ करोड़ में)	77,363	82,899	85,504	98,433	1,00,804
स्थिर मूल्यों पर राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	17.73	7.16	3.14	15.12	2.41
राजस्व प्राप्तियाँ/जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर	14.83	14.73	14.37	15.24	14.84
जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व व्यय					
राजस्व व्यय वर्तमान मूल्यों पर (₹ करोड़ में)	94,542	1,06,239	1,27,140	1,45,842	1,66,773
वर्तमान मूल्यों पर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	25.20	12.37	19.67	14.71	14.35
राजस्व व्यय स्थिर मूल्यों पर (₹ करोड़ में)	80,086	87,821	99,710	1,10,473	1,21,933

³ राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय के लिए स्थिर मूल्यों के आँकड़े एक अपस्फीति कारक अर्थात्, प्रत्येक वर्ष के लिए स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी का वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी के अनुपात का उपयोग करके आते हैं।

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
स्थिर मूल्यों पर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	20.20	9.66	13.54	10.79	10.37
राजस्व व्यय/जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर	15.36	15.59	16.76	17.45	17.95
जीएसडीपी के सापेक्ष पूँजीगत व्यय					
पूँजीगत व्यय वर्तमान मूल्यों पर (₹ करोड़ में)	16,103	21,986	16,980	20,623	19,638
वर्तमान मूल्यों पर पूँजीगत व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	17.85	36.53	(-) 22.77	21.45	(-) 4.78
पूँजीगत व्यय स्थिर मूल्यों पर (₹ करोड़ में)	13,641	18,174	13,317	15,622	14,358
स्थिर मूल्यों पर पूँजीगत व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.14	33.24	(-) 26.73	17.31	(-) 8.09
पूँजीगत व्यय/जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर	2.62	3.23	2.24	2.47	2.11

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में, गत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्ति एवं पूँजीगत व्यय में कमी हुई जबकि राजस्व व्यय में मामूली वृद्धि हुई।

राजकोषीय संकेतकों की स्थिति अर्थात् राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा एवं प्राथमिक घाटे पर चर्चा *अनुच्छेदों 1.2.1 एवं 1.11* में की गई है।

1.2.1 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य में विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबन्धन सुनिश्चित करने एवं राजवित्तीय स्थिरता बनाये रखने के लिये, राज्य सरकार द्वारा अपना “राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (एफआरबीएम) अधिनियम 2005” अधिनियमित किया। यह वर्ष 2011 एवं 2016 में संशोधित हुआ। इसके अतिरिक्त, चौदहवें वित्त आयोग ने भी राज्य के लिये राजकोषीय सुदृढीकरण के लिए रोडमैप का सुझाव दिया।

राज्य की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा में निम्नलिखित बिन्दु दृष्टिगत हुये:

(i) एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6(क) में किये गये प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटे को प्राप्त करना था और उसके बाद उसे बनाये रखना अथवा राजस्व अधिशेष को प्राप्त करना था। तथापि, राज्य सरकार ने केवल वर्ष 2011-12 और 2012-13 में ही राजस्व अधिशेष को बनाए रखा और उसके बाद, वर्ष 2018-19 तक लगातार छः वर्षों के दौरान राजस्व घाटा रहा।

गत छः वर्षों के दौरान राजस्व घाटा/अधिशेष के संदर्भ में बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों की स्थिति को तालिका 1.4 में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 1.4: राजस्व घाटा/अधिशेष के बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक आंकड़ें

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16*	2016-17*	2017-18		2018-19	
					उदय सहित	उदय रहित	उदय सहित	उदय रहित
बजट अनुमान	(+)1,026	(+)738	(+) 557	(-) 8,802	(-)13,528	(-)1,528	(-)17,455	(-)5,455
संशोधित अनुमान	(-)2,505	(-)4,220	(-)5,232	(-)17,838	(-)20,166	(-)8,166	(-)24,825	(-)12,825
वास्तविक	(-)1,039	(-)3,215	(-) 5,954	(-)18,114	(-)18,535	(-)6,535	(-)28,900	(-)16,900

*उदय के प्रभाव सहित⁴

जैसाकि उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व घाटा ₹ 28,900 करोड़ रहा, जो कि बजट अनुमान (₹ 17,455 करोड़) एवं संशोधित अनुमानों (₹ 24,825 करोड़) में अनुमानित से अधिक रहा। उपरोक्त तालिका यह भी इंगित करती है कि वर्ष 2013-14 से 2018-19 के लिए बजट अनुमान कम प्रतिपादित किये गये क्योंकि इन वर्षों के दौरान बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों और वास्तविकों में नियमित एवं सार्थक गिरावट रही।

राज्य सरकार, वर्ष 2018-19 के दौरान बजट अनुमानों के आंकलित राजस्व घाटे को प्राप्त करने में असमर्थ रही क्योंकि ₹ 1,51,663 करोड़ के बजट अनुमान के समक्ष वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ₹ 1,37,873 करोड़ अर्थात् 9.09 प्रतिशत (₹ 13,790 करोड़) से कम रही, जबकि ₹ 1,69,118 करोड़ के बजट अनुमान के समक्ष वास्तविक राजस्व व्यय ₹ 1,66,773 करोड़ अर्थात् 1.39 प्रतिशत (₹ 2,345 करोड़) से कम रहा।

इस प्रकार, बजट अनुमानों की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में अधिक गिरावट एवं व्यय पर अपेक्षाकृत कम नियन्त्रण राजस्व घाटे में वृद्धि का कारण रहा।

उक्त स्थिति यह इंगित करती है कि राज्य को अपनी राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने एवं राजस्व व्यय को तर्कसंगत बनाने के प्रयास करने होंगे।

(ii) एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6(ख) (जैसा कि 2011 में संशोधित हुआ) में वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के तीन प्रतिशत तक प्राप्त करने तथा उसके आगे अनुपात बनाये रखने या इसे कम करने की परिकल्पना की गई थी। चौदहवें वित्त आयोग ने भी राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के तीन प्रतिशत तक बनाए रखने की सिफारिश की थी। गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त राजकोषीय घाटे/जीएसडीपी अनुपात को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

⁴ राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय कुप्रबन्धन के स्थाई समाधान के इरादे से वित्तीय कार्यापलट तथा पुर्नजीवन पैकेज के लिए भारत सरकार द्वारा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) प्रारम्भ की गई।

तालिका 1.5: राजकोषीय घाटे के बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े

	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
2016-17	3.00 (उदय रहित) 5.62 (उदय सहित)	3.37 (उदय रहित) 6.36 (उदय सहित)	3.15 (उदय रहित) 6.10 (उदय सहित)
2017-18	2.99	3.46	3.03
2018-19	2.98	3.41	3.71

यह दृष्टिगत हुआ है कि वर्ष 2018-19 के दौरान, राजकोषीय घाटा, जीएसडीपी अनुपात के प्रतिशत की तुलना में एफआरबीएम अधिनियम और चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किये गये तीन प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था। राजकोषीय घाटा ₹ 34,473 करोड़ रहा जो कि बजट अनुमान (₹ 28,011 करोड़) एवं संशोधित अनुमान (₹ 31,473 करोड़) में अनुमानित लक्ष्य से अधिक था।

(iii) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कुल बकाया देयताओं की सीमा जीएसडीपी अनुपात के 35.0 प्रतिशत तक निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एफआरबीएम अधिनियम, 2005 की धारा 6(ग) के प्रावधानों में संशोधन (अप्रैल 2016) किया गया।

यद्यपि, वर्ष 2018-19 के दौरान ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (33.5 प्रतिशत) एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित की गई सीमा में था, तथापि, यह चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सीमा (24.4 प्रतिशत) से काफी अधिक था। उदय के अन्तर्गत देयताओं को छोड़कर, ऋण-जीएसडीपी अनुपात 28.0 प्रतिशत रहा, जो कि चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक था।

1.2.2 बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों तथा व्यय के अनुमानों का विवरण उपलब्ध कराते हैं। समग्र आर्थिक प्रबन्धन के लिए राजकोषीय नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में, प्राप्तियों एवं व्यय के आंकलन में सटीकता के महत्व को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। बजट अनुमानों से विचलन वांछित राजकोषीय उद्देश्यों की अप्राप्ति का सूचक है जो कि विभिन्न कारणों यथा कुछ सरकार के नियंत्रणाधीन एवं कुछ नियंत्रण से बाहर होने के कारण होता है।

वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों के साथ वास्तविक प्राप्तियों/व्ययों की तुलना तालिका 1.6 में एवं विस्तृत तुलना (मुख्य शीर्ष वार) परिशिष्ट 1.6 में दी गयी है।

तालिका 1.6: वर्ष 2018-19 के लिये बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान की वास्तविक के साथ तुलना

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय मापदंड	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वास्तविक एवं बजट अनुमान में अन्तर	वास्तविक एवं संशोधित अनुमान में अन्तर
1	2	3	4	5 (4-2)	6(4-3)
कर राजस्व	58,099	61,907	57,380	(-) 719	(-) 4,527
कर-भिन्न राजस्व	20,397	19,966	18,603	(-) 1,794	(-) 1,363
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	43,310	41,853	41,853	(-) 1,457	0
भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	29,857	24,458	20,037	(-) 9,820	(-) 4,421
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	1,51,663	1,48,184	1,37,873	(-) 13,790	(-) 10,311
कुल राजस्व व्यय	1,69,118	1,73,009	1,66,773	(-) 2,345	(-) 6,236
ब्याज अदायगियाँ	21,413	21,737	21,695	282	(-) 42
पूँजीगत व्यय	25,740	21,061	19,638	(-) 6,102	(-) 1,423
राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-) 17,455	(-) 24,825	(-) 28,900	(-) 11,445	(-) 4,075
राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-) 28,011	(-) 31,473	(-) 34,473	(-) 6,462	(-) 3,000
प्राथमिक घाटा ⁵ (-)/अधिशेष (+)	(-) 6,598	(-) 9,736	(-) 12,778	(-) 6,180	(-) 3,042

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट प्रपत्र

राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्ययों एवं पूँजीगत व्ययों का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

1.2.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियाँ, बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों से क्रमशः ₹ 13,790 करोड़ (9.1 प्रतिशत) एवं ₹ 10,311 करोड़ (7.0 प्रतिशत) कम रही। संशोधित अनुमानों की तुलना में प्राप्तियों में पर्याप्त गिरावट मुख्यतः भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान: ₹ 4,421 करोड़ (18.08 प्रतिशत); बिक्री, व्यापार आदि पर कर: ₹ 1,709 करोड़ (10.36 प्रतिशत); मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क: ₹ 864 करोड़ (18.19 प्रतिशत); अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग: ₹ 699 करोड़ (11.65 प्रतिशत); राज्य उत्पाद शुल्क: ₹ 606 करोड़ (6.52 प्रतिशत) तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर: ₹ 562 करोड़ (2.39 प्रतिशत) में कमी के कारण रही।

1.2.2.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व व्यय बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों से क्रमशः ₹ 2,345 करोड़ (1.4 प्रतिशत) एवं ₹ 6,236 करोड़ (3.6 प्रतिशत) कम रहा। संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय में यह गिरावट मुख्यतः अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम: ₹ 1,948 करोड़ (24.04 प्रतिशत); सामान्य शिक्षा: ₹ 700 करोड़ (2.01 प्रतिशत); शहरी विकास: ₹ 495 करोड़ (10.65 प्रतिशत); कृषि फसल कर्म: ₹ 490 करोड़ (17.49 प्रतिशत); पोषण: ₹ 488 करोड़ (21.81 प्रतिशत) तथा सड़क एवं सेतु: ₹ 296 करोड़ (19.25 प्रतिशत) में प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कमी के कारण हुई।

⁵ प्राथमिक घाटा= राजकोषीय घाटा (-) ब्याज अदायगियाँ

1.2.2.3 पूँजीगत व्यय

वर्ष 2018-19 के दौरान, पूँजीगत व्यय बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान की तुलना में क्रमशः ₹ 6,102 करोड़ (23.7 प्रतिशत) एवं ₹ 1,423 करोड़ (6.8 प्रतिशत) से कम रहा। संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय में यह गिरावट मुख्यतः जलापूर्ति तथा सफाई: ₹ 418 करोड़ (9.75 प्रतिशत); अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों: ₹ 131 करोड़ (36.09 प्रतिशत); सड़क एवं सेतु: ₹ 107 करोड़ (2.51 प्रतिशत); चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य: ₹ 82 करोड़ (14.11 प्रतिशत); शहरी विकास: ₹ 80 करोड़ (5.81 प्रतिशत); मुख्य सिंचाई: ₹ 79 करोड़ (4.35 प्रतिशत); शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति: ₹ 76 करोड़ (8.44 प्रतिशत) तथा अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों: ₹ 64 करोड़ (18.71 प्रतिशत) में प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कमी के कारण हुई।

सिफारिश 1:

सरकार को बजट में शामिल अनुमानों को और अधिक वास्तविक बनाने के लिए बजट का निर्माण युक्तिसंगत करना चाहिए ताकि राजकोषीय घाटे तथा राजस्व घाटे के मापदण्डों को एफआरबीएम अधिनियम की निर्धारित सीमा के भीतर लाया जा सके।

1.2.3 जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग

जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग (जीआरबी) यह सुनिश्चित करने का एक साधन है कि सार्वजनिक संसाधनों का न्यायसंगत रूप से आवंटन किया गया है ताकि विशेष जेंडर समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2009-10 के बजट भाषण के दौरान, जीआरबी तैयार करने की घोषणा की ताकि प्रत्येक विभाग के बजट का जेंडर आधारित विश्लेषण हो सके। तदनुसार, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन (अगस्त 2009) किया गया तथा महिला एवं बाल विकास विभाग में सितम्बर 2009 में एक जेंडर प्रकोष्ठ का गठन किया गया। जीआरबी के कार्यों एवं उद्देश्यों में से एक, सरकार के बजट में योजनाओं का इस प्रकार समेकन करना था कि जेंडर आधारित विश्लेषण में सुविधा रहे। इसके अतिरिक्त, अगस्त 2010 के दौरान विभिन्न जीआरबी पहलों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से विभिन्न विभागों में जेंडर डेस्कों का भी गठन किया गया था। इसके अलावा, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 से बजट अनुमान तैयार करने के लिए नयी एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली में जेंडर बजट प्रविवरण का समावेश करने का निर्णय लिया (अगस्त 2011) गया।

राज्य में जेंडर बजटिंग को राज्य बजट नियमावली (राबनि) के अनुच्छेद 13.27 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है, जो वार्षिक जेंडर बजट विवरण तैयार करने हेतु के निर्दिष्ट विभागों के बजट नियंत्रण अधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा जारी बजट परिपत्र में दिए गए प्रारूप में जानकारी प्रदान करने के आदेश

उपलब्ध कराता है। इस प्रारूप में महिला उन्मुख आयोजनागत योजनाओं/कार्यक्रमों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना आवश्यक है। श्रेणियों का विवरण नीचे दिया गया है:

अ	योजनाएँ जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 70 प्रतिशत से अधिक व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये।
ब	योजनाएँ जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 70 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के मध्य व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये।
स	योजनाएँ जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के मध्य व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये।
द	योजनाएँ जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत से कम व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये।

वर्ष 2014-19 के दौरान राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किये गये बजट के अनुसार श्रेणीवार आवंटन को तालिका 1.7 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.7: श्रेणीवार जेंडर बजटींग का बजट आवंटन एवं वास्तविक

(₹ करोड़ में)

वर्ष		श्रेणी 'अ'	श्रेणी 'ब'	श्रेणी 'स'	श्रेणी 'द'	योग
2014-15	बजट अनुमान	4,241.11	21,143.72	2,887.26	38.49	28,310.58
	वास्तविक व्यय	5,767.98	18,329.41	1,093.63	1,315.92	26,506.94
	वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	136.0	86.7	37.9	3418.9	93.6
2015-16	बजट अनुमान	5,963.18	30,381.26	2,264.05	42.63	38,651.12
	वास्तविक व्यय	7,814.04	20,263.82	2,176.33	49.76	30,303.95
	वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	131.0	66.7	96.1	116.7	78.4
2016-17	बजट अनुमान	5,771.71	37,876.75	3,251.84	40.64	46,940.94
	वास्तविक व्यय	3,524.88	23,211.34	2,450.84	89.69	29,276.75
	वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	61.1	61.3	75.4	220.7	62.4
2017-18	बजट अनुमान	5,870.89	44,428.87	2,372.26	118.19	52,790.21
	वास्तविक व्यय	8138.65	36,910.61	2,225.33	34.06	47,308.65
	वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	138.6	83.1	93.8	28.8	89.6
2018-19	बजट अनुमान	4,418.46	54,651.13	1,882.37	51.98	61,003.94
	वास्तविक व्यय	4,745.99	42,577.04	1,994.14	44.45	49,361.62
	वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	107.4	77.9	105.9	85.5	80.9

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान जेंडर बजट की तुलना में कुल व्यय 93.6 प्रतिशत से घटकर 80.9 प्रतिशत रह गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान, उपरोक्त श्रेणियों में 123 बजट अन्तिमीकरण समितियाँ आई, जिन्होंने 1,248 योजनाओं/कार्यक्रमों को सम्मिलित किया। जेंडर बजट के उपयोग की सीमा के आंकलन की दृष्टि से, महिलाओं के लिए शत प्रतिशत आवंटन के साथ 'अ' श्रेणी की 34 योजनाओं की नमूना जाँच की गई थी जिनमें ₹ 10 करोड़ से अधिक का बजट आवंटन था। ध्यान में आई मुख्य अनियमितताओं को नीचे सारांशीकृत किया गया है:

(1) महिला एवं बाल विकास विभाग

(अ) "मिशन ग्राम्य शक्ति" (एमजीएस) योजना को महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सुदृढ़ तथा स्थिर करने एवं उन्हें सूक्ष्मवित्त प्रदान कर उनके संस्थागत विकास के लिए विकसित किया जाना था। यह दृष्टिगत हुआ कि वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 10.70 करोड़ के बजट आवंटन के समक्ष कोई व्यय नहीं हुआ।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि वित्त विभाग द्वारा कार्ययोजना अनुमोदित नहीं किये जाने के कारण योजना क्रियान्वित नहीं की जा सकी। यह विचारणीय है कि योजना के अन्तर्गत "शून्य" व्यय के तथ्य को विगत पाँच वर्षों से निरंतर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य वित्त में उल्लेखित किया जाता रहा है।

इस प्रकार, कार्ययोजना का लगातार गैर अनुमोदन एक 'अ' श्रेणी की योजना के अन्तर्गत निधि जारी करने की वित्त विभाग की अनिच्छा को दर्शाता है।

(ब) एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) की प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं पोषण सुधार परियोजना (आईएसएसएनआईजी): आईसीडीएस की नीति, प्रणाली, प्रक्रियाओं एवं क्षमता को मजबूती प्रदान करने में सहायता हेतु तथा पोषण परिणामों में सुधार के लिए अभिसारी क्रियाओं को मजबूत बनाने के लिए विश्व बैंक द्वारा इस परियोजना को प्रारम्भ किया गया था।

यह दृष्टिगत हुआ कि ₹ 174.50 करोड़ के बजट अनुमान के समक्ष मात्र ₹ 42.95 करोड़ (25 प्रतिशत) की राशि व्यय की गयी। विभाग ने सूचित किया कि आईसीटी- रियल टाइम मॉनिटरिंग (आरटीएम) उपकरणों एवं ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस की खरीद नहीं होने के कारण, आईसीटी-आरटीएम मास्टर ट्रेनिंग तथा कॉमन एप्लीकेशन सिस्टम (सीएस) के माध्यम से निगरानी सम्बन्धित गतिविधियाँ नहीं होने के परिणामस्वरूप निधियों का उपयोग नहीं हो सका।

(2) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्-राजीविका (आरजीएवीपी) द्वारा अप्रैल 2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का क्रियान्वन किया जा रहा था। यह अक्टूबर 2010 में स्थापित, ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक

नियंत्रण में एक स्वायत्त संस्था है। एनआरएलएम का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की आय के स्रोतों को बढ़ाना है ताकि ग्रामीण महिलाओं को एसएचजी में संगठित करके गरीबी से बाहर लाया जा सके एवं उन्हें ऋण वित्तपोषण का लाभ उठाने के लिए बैंकों से जोड़ा जा सके ताकि उनके जीविकोपार्जन के लिए अधिक धन उपलब्ध हो सके। यह दृष्टिगत हुआ कि वर्ष 2018-19 के दौरान एनआरएलएम के अन्तर्गत ₹ 279 करोड़ के बजट अनुमान के समक्ष मात्र ₹ 115.84 करोड़ (42 प्रतिशत) की राशि खर्च की गयी। इस योजना पर कम व्यय भारत सरकार से निधियों का प्राप्त न होना एवं इसी के अनुरूप कम राज्यांश जारी करने के कारण हुआ।

इस प्रकार एक जेंडर आधारित योजना में शून्य व्यय तथा शेष दो अन्य योजनाओं में 25 एवं 42 प्रतिशत का व्यय, जेंडर उत्तरदायी बजटिंग के कार्यान्वयन में राज्य सरकार की ओर से प्रयासों में कमी को इंगित करता है।

1.2.4 वर्ष 2018-19 के बजट भाषण की प्रमुख परियोजनाओं/नीतिगत पहलों एवं की गई कार्यवाही की स्थिति

वर्ष 2018-19 के लिए बजट प्रस्तुत करते समय राज्य सरकार ने कई योजनाओं/नीतियों की घोषणा की थी। मुख्य नीतिगत पहलों पर की गई कार्यवाही की स्थिति से सम्बंधित विभागों द्वारा सूचित किया गया (जून-सितम्बर 2019)। तथापि, लेखा परीक्षा के दौरान दृष्टिगत हुआ कि निम्नलिखित परियोजना/नीतिगत पहलों के सम्बन्ध में, सीमित या कोई प्रगति नहीं की गई:

बजट भाषण की अनुच्छेद संख्या	विभाग का नाम	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का सारांश	विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही की स्थिति
25	परिवहन	सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के लिए क्षमता निर्माण हेतु ₹ 10 करोड़ की लागत से राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जायेगा।	वर्ष 2018-19 में कोई बजट आवंटित नहीं किया गया था। यहां तक कि अब तक (अगस्त 2019) जमीन भी आवंटित नहीं की गयी है।
28	जल संसाधन	बीसलपुर बाँध के लिए ब्राहमणी बनास में पानी की आवक बढ़ाने के लिए ₹ 6,000 करोड़ की लागत से परियोजना प्रस्तावित थी। इस योजना से जयपुर, अजमेर एवं टोंक जिले लाभांशित होंगे।	विभाग ने सूचित (जुलाई 2019) किया कि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति न मिलने के कारण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु एक्सप्रेसन ऑफ इन्टरेस्ट (ईओआई) आमन्त्रित की जानी है।
31		जीआईसीए, विश्व बैंक एवं न्यू डवलपमेन्ट बैंक द्वारा प्रायोजित ₹ 1,658 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं के कार्य 26 जिलों में आगामी वर्ष में आरम्भ किये जायेंगे।	विभाग ने सूचित (जुलाई 2019) किया कि ₹ 1,658 करोड़ के समक्ष राशि ₹ 814 करोड़ (49 प्रतिशत) के 31 निर्माण कार्यों के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं।

बजट भाषण की अनुच्छेद संख्या	विभाग का नाम	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का सारांश	विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही की स्थिति
33		सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के माध्यम से चम्बल, बीसलपुर, गंग नहर, भाखडा नहर, सिद्धमुख नोहर एवं अमर सिंह उप शाखा परियोजनाओं पर आगामी वर्ष में ₹ 220 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।	₹ 220 करोड़ के समक्ष केवल ₹ 2.00 करोड़ नाममात्र के आवंटित किए, जिसमें से वर्ष 2018-19 में ₹ 1.91 करोड़ (0.87 प्रतिशत) का व्यय हुआ।
42	जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी	पोकरण-फलसुंड-बालोतरा-सिवाना पेयजल परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति देते हुए सितम्बर 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा जायेगा।	परियोजना अभी तक प्रगतिरत है एवं मार्च 2020 तक पूरा होने की सम्भावना है।
86 एवं 87	चिकित्सा शिक्षा	एसएमएस चिकित्सालय के सम्बद्ध चिकित्सालयों में बढ़ते रोगीभार को देखते हुए, ₹ 6 करोड़ की लागत से एक नवीन कैथ लैब स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में बढ़ते रोगीभार को देखते हुए, ₹ 6 करोड़ के व्यय से एक नवीन कैथ लैब स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।	वर्ष 2018-19 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी के कारण नवीन कैथ लैब खरीदी नहीं जा सकी। निविदाये आमन्त्रित की गई परन्तु तकनीकी आधार पर निविदाये खारिज की गई। अब निविदाओं को नये सिरे से आमन्त्रित किया जाना है (अगस्त 2019)।
98	शिक्षा	प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के दूसरे चरण में, वर्ष 2018-19 में 1,163 आदर्श विद्यालयों में 3,379 अतिरिक्त कक्षाओं एवं शौचालयों के निर्माण हेतु ₹ 360 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी।	वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 360 करोड़ के समक्ष ₹ 200 करोड़ आवंटित किए गये, जिसमें से मात्र ₹ 107.80 करोड़ (30 प्रतिशत) का व्यय हुआ। 1,163 विद्यालयों में से मात्र 220 विद्यालयों (19 प्रतिशत) में कार्य पूर्ण हुआ।
113	अल्पसंख्यक मामलात	मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए आदर्श मदरसा योजना प्रारम्भ की जाएगी। इस योजना के तहत पंजीकृत "ए" श्रेणी मदरसों में से 500 मदरसों का चयन करके आधुनिकीकरण पर ₹ 25.18 करोड़ की राशि व्यय की जाएगी।	वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 25.18 करोड़ के आवंटित बजट के समक्ष मात्र ₹ 9.48 करोड़ (37.65 प्रतिशत) का व्यय हुआ।
115	रोजगार	29 जिलों के रोजगार कार्यालयों को आदर्श आजिविका केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए ₹ 45 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।	कोई बजट आवंटित नहीं किया गया था।
121	खेलकूद	जगतपुरा, जयपुर में शूटिंग रेन्ज को अन्तराष्ट्रीय स्तर का बनाए जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स क्रय करने हेतु ₹ 5 करोड़ खर्च किए जायेंगे।	बजट आवंटन ₹ 5 करोड़ के समक्ष मात्र ₹ 97.38 लाख (19.48 प्रतिशत) का ही व्यय हुआ था (अगस्त 2019)।
156	खनिज	राज्य के खनन प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधायें प्रदान करने के लिए आगामी वर्ष में ₹ 1,000 करोड़ की राशि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा व्यय की जाएगी।	वर्ष 2018-19 में, ₹ 1,000 करोड़ के समक्ष मात्र ₹ 407.32 करोड़ (40.73 प्रतिशत) का व्यय हुआ था।

बजट भाषण की अनुच्छेद संख्या	विभाग का नाम	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का सारांश	विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही की स्थिति
185	पुरातत्व एवं संग्रहालय	कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, झालावाड़, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, चूरु, बीकानेर, बारां, उदयपुर एवं भरतपुर में स्थित 19 स्मारकों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार कार्यों पर आगामी वर्ष में ₹ 33.25 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।	बजट आवंटन ₹ 22.17 करोड़ में से वर्ष 2018-19 में ₹ 6.81 करोड़ का व्यय हुआ था।
187	पर्यटन	पर्यटन विकास के लिए बांसवाड़ा के माही बौध क्षेत्र में ₹ 10 करोड़ की लागत से 100 द्वीप विकसित किए जाएंगे।	वर्ष 2018-19 में कोई बजट आवंटित नहीं किया गया।

उपरोक्त प्रकरणों में, अनुवर्ती कार्यवाही एवं कार्य प्रारम्भ करने में धीमी गति, बजट भाषण के दौरान की गयी घोषणाओं के अनुश्रवण एवं प्रयास करने में कमी का द्योतक है। अधिकांश प्रकरणों में, निर्धारित अवधि में काम शुरू भी नहीं हुआ था।

सिफारिश 2:

प्रत्येक वर्ष बजट भाषण में की गई घोषणाओं के महत्व एवं जन लेखा समिति द्वारा बार-बार की जाने वाली सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सम्बन्धित विभागों को इन योजनाओं का समय पर कार्यान्वयन और प्रारम्भ करना सुनिश्चित करना चाहिए।

1.3 राज्य के वित्तीय संसाधन


वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार राज्य के वित्तीय संसाधन

राज्य सरकार की प्राप्तियों को दो श्रेणियों अर्थात् राजस्व प्राप्तियों⁶ एवं पूँजीगत प्राप्तियों⁷ में विभाजित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा अपने घाटे के वित्त पोषण करने हेतु लोक लेखे (निवल में संवितरण के बाद) में उपलब्ध निधियों का भी उपयोग किया जाता है। राज्य के वित्तीय संसाधनों के घटकों तथा उप-घटकों को निम्नलिखित प्रवाह संचित्र (फ्लोचार्ट) में प्रदर्शित किया गया है:


⁶ राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान शामिल होते हैं।

⁷ पूँजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से प्राप्तियाँ, कर्जे और अग्रिमों की वसूलियाँ, ऋण प्राप्तियाँ (बाजार से कर्जे, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से कर्जे और अग्रिम शामिल हैं।


वित्तीय संसाधनों के घटक तथा उप-घटक



वर्ष 2014-19 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति को **संचित्र 1.1** में दर्शाया गया है तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को **संचित्र 1.2** में दर्शाया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे




वर्ष 2014-19 के दौरान, कुल प्राप्तियाँ (आकस्मिकता निधि प्राप्तियों को छोड़कर) 19 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज से वर्ष 2014-15 में ₹ 1,14,809 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 2,00,856 करोड़ हो गई एवं वर्ष 2018-19 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में यह 11 प्रतिशत से बढ़ी।


वर्ष 2018-19 के दौरान, कुल प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान राजस्व प्राप्तियों का (69 प्रतिशत) रहा एवं गत पाँच वर्षों के दौरान भी रहा। जबकि वर्ष 2018-19 के दौरान, कुल प्राप्तियों में लोक लेखा प्राप्तियों का 5 प्रतिशत हिस्सा रहा, कुल प्राप्तियों में पूँजीगत प्राप्तियों का 26 प्रतिशत योगदान रहा। राजस्व प्राप्तियों, लोक लेखा प्राप्तियों एवं पूँजीगत प्राप्तियों के घटकों की विवेचना **अनुच्छेद 1.4, 1.5 एवं 1.6** में की गयी है।

1.4 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का **विवरण-14**, सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण दर्शाता है। राजस्व प्राप्तियों में सरकार का स्व-राजस्व (कर एवं कर-भिन्न राजस्व), केन्द्र सरकार से संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान शामिल है। वर्ष 2014-19 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संयोजन को **परिशिष्ट 1.4** में प्रस्तुत किया गया है तथा **संचित्र 1.3** एवं **संचित्र 1.4** में भी दर्शाया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे



स्रोत: वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियों, 13 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ वर्ष 2014-15 में ₹ 91,327 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 1,37,873 करोड़ हो गई। वर्ष 2014-19 के दौरान, औसतन 54 प्रतिशत राजस्व राज्य के स्व-संसाधनों से आया तथा शेष राशि भारत सरकार से संघीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश एवं सहायतार्थ-अनुदान के रूप में आयी।

वर्ष 2014-19 की अवधि के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश क्रमशः 40 एवं 42 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि कर-भिन्न राजस्व का अंश क्रमशः 10 एवं 15 प्रतिशत के मध्य रहा। राजस्व प्राप्तियों में कर-राजस्व का अंश वर्ष 2017-18 के 40 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 42 प्रतिशत हो गया। राजस्व प्राप्तियों एवं कर राजस्व की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.8 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.8: राजस्व प्राप्तियों एवं कर राजस्व की प्रवृत्तियाँ

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	91,327	1,00,285	1,09,026	1,27,307	1,37,873
राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत)	22.6	9.8	8.7	16.8	8.3
कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.5	10.4	3.9	14.0	13.4

उत्प्लावकता अनुपात

उत्प्लावकता अनुपात, आधार परिवर्ती (वेरिएबल) में दिये गये परिवर्तन के संदर्भ में किसी राजकोषीय परिवर्ती की प्रतिक्रिया की मात्रा या लचीलेपन को दर्शाता है। इस अनुपात का एक से अधिक मान आधार परिवर्ती से राजकोषीय परिवर्ती की उच्च स्तर की प्रतिक्रिया को इंगित करता है। जैसे-जैसे जीएसडीपी बढ़ती है, सरकार की

राजस्व जुटाने की क्षमता भी बढ़नी चाहिए। राज्य के जीएसडीपी में परिवर्तन के सम्बन्ध में राजस्व उत्प्लावकता को तालिका 1.9 दर्शाती है ।

तालिका 1.9: उत्प्लावकता अनुपात

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
उत्प्लावकता अनुपात					
जीएसडीपी वर्तमान मूल्यों पर (₹ करोड़ में)	6,15,642	6,81,485	7,58,809	8,35,558	9,29,124
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.7	10.7	11.3	10.1	11.2
राजस्व प्राप्ति/जीएसडीपी (प्रतिशत में)	14.8	14.7	14.4	15.2	14.8
जीएसडीपी के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.9	0.9	0.8	1.7	0.7
जीएसडीपी के संदर्भ में कर राजस्व उत्प्लावकता	1.3	1.0	0.3	1.4	1.2
राजस्व प्राप्ति के संदर्भ में कर राजस्व उत्प्लावकता	0.7	1.1	0.5	0.8	1.6
जीएसडीपी के संदर्भ में कर भिन्न राजस्व उत्प्लावकता	(-) 0.2	(-) 1.6	0.6	3.5	1.6
जीएसडीपी के संदर्भ में केन्द्रीय करों में राज्यांश उत्प्लावकता	0.5	3.8	1.8	1.0	1.2
जीएसडीपी के संदर्भ में भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान उत्प्लावकता	10.6	(-) 0.4	0.4	2.3	(-) 1.5

स्रोत: वित्त लेखे

राजस्व उत्प्लावकता, जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन के लिए राजस्व प्राप्तियों में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। जैसा कि उपरोक्त तालिका से दृष्टिगत होता है कि राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में तीव्र गिरावट वर्ष 2017-18 में 16.8 प्रतिशत से वर्ष 2018-19 में 8.3 प्रतिशत हो जाने के कारण राजस्व उत्प्लावकता वर्ष 2017-18 में 1.7 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2018-19 में 0.7 प्रतिशत हो गई। जीएसडीपी के सापेक्ष कर-भिन्न राजस्व उत्प्लावकता में बड़ी गिरावट वर्ष 2017-18 में 3.5 से वर्ष 2018-19 में 1.6 कर भिन्न राजस्व में गत वर्ष की वृद्धि दर 35.5 प्रतिशत की तुलना में कम वृद्धि दर 18.2 प्रतिशत रह जाने के कारण हुई। राजस्व प्राप्ति उत्प्लावकता में गिरावट का मुख्य कारण जीएसडीपी से सहायतार्थ अनुदान उत्प्लावकता गत वर्ष की तुलना में 2.3 से गिरकर वर्ष 2018-19 में (-)1.5 रह जाना रहा। इस प्रकार वर्ष 2018-19 के दौरान सहायतार्थ अनुदान से 16.3 प्रतिशत की कमी आई जो गत वर्ष में 22.9 प्रतिशत की वृद्धि थी। इसके अतिरिक्त, राजस्व प्राप्ति-जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2017-18 के 15.2 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2018-19 में 14.8 प्रतिशत रह गया ।

1.4.1 राज्य के स्व-संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्यांश एवं सहायतार्थ-अनुदानों का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर किया जाता है, राज्य के संसाधन जुटाने की निष्पादकता का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया गया जिससे कर एवं कर-भिन्न संसाधन सम्मिलित थे।

चौदहवें वित्त आयोग तथा मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण (एमटीएफपीएस) द्वारा किये गये आंकलन के समक्ष राज्य के वास्तविक कर एवं कर-भिन्न राजस्व तालिका 1.10 में दिया गया है:

तालिका 1.10: वर्ष 2018-19 के लिए कर एवं कर-भिन्न राजस्व आंकलन तथा वास्तविक प्राप्तियाँ
(₹ करोड़ में)

	चौदहवें वित्त आयोग का आंकलन	बजट अनुमान/ एमटीएफपीएस	वास्तविक प्राप्तियाँ	बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर	
				राशि	प्रतिशत
कर राजस्व	90,241	58,099	57,380	(-) 719	1.24
कर-भिन्न राजस्व	23,708	20,397	18,603	(-) 1,794	8.80

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा दिये गये मानक आंकलनों की तुलना में कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व के अन्तर्गत प्राप्तियाँ क्रमशः 36.41 प्रतिशत (₹ 32,861 करोड़) एवं 21.53 प्रतिशत (₹ 5,105 करोड़) से कम रही। वास्तविक कर-राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व बजट अनुमान से भी कम था।

1.4.1.1 कर-राजस्व

मुख्य करों एवं शुल्कों के सम्बन्ध में सकल संग्रह की घटक वार स्थिति तालिका 1.11 एवं संचित्र 1.5 में दी गई है:

तालिका 1.11: राज्य के स्व कर-राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	24,170	26,345	28,558	19,008	14,791	(-) 22.2
माल तथा यात्री कर	956	848	803	341	51	(-) 85.0
मनोरंजन कर तथा विलासिता कर (वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क के अन्तर्गत)	114	171	220	64	5	(-) 92.2
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	12,137	22,938*	89.0
योग	25,240	27,364	29,581	31,550	37,785	19.8
राज्य उत्पाद शुल्क	5,586	6,713	7,054	7,276	8,694	19.5
वाहनों पर कर	2,830	3,199	3,623	4,363	4,576	4.9
मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क	3,189	3,234	3,053	3,675	3,886	5.7
भू-राजस्व	289	272	315	364	290	(-) 20.3
अन्य कर ⁸	1,539	1,931	746 ⁹	3,377 ¹⁰	2,149 ¹¹	(-) 36.4
कुल योग	38,673	42,713	44,372	50,605	57,380	13.4

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


* अप्रमाणित आँकड़े।

8 अन्य कर में कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (मनोरंजन कर तथा विलासिता कर को छोड़कर) शामिल है।

9 इसमें विद्युत पर कर एवं शुल्क की ₹ 738 करोड़ की प्राप्तियाँ शामिल है।

10 इसमें विद्युत पर कर एवं शुल्क की ₹ 3,376 करोड़ की प्राप्तियाँ शामिल है।

11 इसमें विद्युत पर कर एवं शुल्क की ₹ 2,148 करोड़ की प्राप्तियाँ शामिल है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

भारत सरकार द्वारा जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन करने के कारण बिक्री, व्यापार आदि पर कर से प्राप्तियों में गत वर्ष से 22.2 प्रतिशत की कमी रहने के बावजूद वर्ष 2018-19 के दौरान, बिक्री, व्यापार आदि पर कर तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर से प्राप्तियाँ क्रमशः 26 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत के अनुपात में कर-राजस्व का मुख्य अंश रहे। तथापि, करों (बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल तथा यात्री कर, मनोरंजन कर एवं विलासिता कर तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर) से समग्र प्राप्तियाँ गत वर्ष की तुलना में 19.8 प्रतिशत से बढ़ी।

जबकि 'अन्य कर' शीर्ष के अर्न्तगत विद्युत पर कर एवं शुल्क वर्ष 2017-18 के ₹ 3,376 करोड़ से घटकर वर्ष 2018-19 में ₹ 2,148 करोड़ रह गया, जबकि राज्य उत्पाद शुल्क का योगदान कर-राजस्व का 15 प्रतिशत था, गत वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत हो गया। मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 3,886 करोड़) में गत वर्ष (₹ 3,675 करोड़) की तुलना में वर्ष 2018-19 में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा वाहनों पर कर (₹ 4,576 करोड़) में भी गत वर्ष (₹ 4,363 करोड़) की तुलना में वर्ष 2018-19 में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.4.1.2 वस्तु एवं सेवा कर की स्थिति

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 से क्रियान्वित किया गया था। जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार, जीएसटी लागू होने के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति केन्द्र सरकार 5 वर्ष के लिए राज्य सरकारों को करेगी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आधार वर्ष (2015-16) के राजस्व ₹ 17,158.62 करोड़ पर 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की आंकलित वृद्धि दर लागू करते हुये राजस्थान के लिए वर्ष 2018-19 हेतु ₹ 25,421.25 करोड़ राजस्व निर्धारित किया गया था।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 0006-राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत राजस्व के रूप में ₹ 22,938.33 करोड़ (₹ 2,638.85 करोड़ समेकित वस्तु एवं सेवा कर से अग्रिम विभाजन को शामिल करते हुए) प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार ने ₹ 1,875 करोड़ (वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 301 करोड़ के पिछले वर्ष से सम्बन्धित क्षतिपूर्ति को छोड़कर) जीएसटी के क्रियान्वयन से उत्पन्न राजस्व के नुकसान के मुआवजे के रूप में जारी किये गए। वर्ष 2018-19 की अवधि से सम्बन्धित मुआवजे के रूप में ₹ 405 करोड़ की राशि भी मई 2019 में प्राप्त हुई। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, राज्य द्वारा एकत्रित वास्तविक राजस्व को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण/प्रमाणित किया जाना है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संग्रहण का स्वचालित तंत्र स्थापित हो जाने के साथ, लेखों के प्रमाणीकरण के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखानरीक्षक के संवैधानिक दायित्व को पूर्ण करने के लिए, सभी संव्यवहारों की नमूना जाँचों को एक विस्तृत जाँच में परिवर्तित किया जाना लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हो गया है। डाटाबेस तक अपेक्षित पहुंच अभी भी दी जानी है। जीएसटी प्राप्तियों की विस्तृत लेखा परीक्षा करने में जीएसटी के सभी संव्यवहारों से सम्बन्धित डाटा की उपलब्धता नहीं होना एक रूकावट है। इसलिए एकबार अपवाद के रूप में वर्ष 2018-19 हेतु लेखे नमूना जाँच के आधार पर प्रमाणित किये गये हैं जैसा कि रिकार्ड को मैनुअल रूप से रखे जाने पर किया जाता था।

इसलिए, एसजीएसटी एवं आईजीएसटी के रूप में दर्शाये गये राजस्व की राशि ₹ 22,938.33 करोड़ को अनन्तिम और लेखा परीक्षा के अध्यक्षीन माना जाना चाहिए।

सिफारिश 3:

राज्य सरकार को एसजीएसटी के अन्तर्गत राजस्व संग्रहण के प्रमाणीकरण के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) को एसजीएसटी ऑकड़ों तक पहुँच शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करानी चाहिये।

संग्रहण की लागत

वाहनों पर कर, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क एवं राज्य उत्पाद शुल्क के सकल संग्रहण पर व्यय एवं वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 के दौरान सकल संग्रहण पर इसके प्रतिशत को अखिल भारतीय औसत संग्रहण लागत के साथ उनके सम्बन्धित वर्षों के समक्ष तालिका 1.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: संग्रहण की लागत

प्राप्ति शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता में
		(₹ करोड़ में)			
राज्य वस्तु एवं सेवा कर सहित बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2016-17	28,558	123	0.43	0.69
	2017-18	31,145	163	0.52	0.69
	2018-19	37,729	199	0.53	उपलब्ध नहीं
राज्य उत्पाद शुल्क	2016-17	7,054	131	1.86	2.01
	2017-18	7,276	142	1.95	1.83
	2018-19	8,694	160	1.84	उपलब्ध नहीं
वाहनों पर कर	2016-17	3,623	71	1.96	2.61
	2017-18	4,363	69	1.58	2.61
	2018-19	4,576	81	1.77	उपलब्ध नहीं
मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क	2016-17	3,053	65	2.13	2.99
	2017-18	3,675	72	1.96	2.96
	2018-19	3,886	85	2.19	उपलब्ध नहीं

@ राज्य उत्पाद शुल्क, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त लघुशीर्ष 101- वसूली प्रभार के अन्तर्गत दर्ज किए गए व्यय को संग्रहण की लागत माना जाता है।

राज्य में, वर्ष 2016-19 की अवधि के दौरान, राज्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर सभी प्राप्ति लेखा शीर्षों में सकल संग्रहण से संग्रहण की लागत का प्रतिशत, वर्ष 2017-18 में अखिल भारतीय औसत से कम रहा।

1.4.1.3 कर-भिन्न राजस्व

वर्ष 2014-19 की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व के मुख्य घटकों की प्रवृत्तियों को तालिका 1.13 एवं संचित्र 1.6 में दर्शाया गया है।


तालिका 1.13: कर-भिन्न राजस्व के घटक

राजस्व शीर्ष	(₹ करोड़ में)					गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान वृद्धि/ कमी (प्रतिशत में)
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
ब्याज प्राप्ति	2,065	1,982	1,933	4,859	5,791	19.2
पेट्रोलियम से राजस्व ¹²	4,850	2,342	2,332	2,579	3,883	50.6
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	3,636	3,782	4,234	4,522	5,302	17.2
लाभांश एवं लाभ	63	97	68	67	56	(-) 16.4
अन्य कर-भिन्न प्राप्ति	2,615	2,725	3,048	3,707	3,571	(-) 3.7
योग	13,229	10,928	11,615	15,734	18,603	18.2

स्रोत: वित्त लेखे

¹² बाड़मेर-सांचौर बेसिन में उत्पादित कच्चे तेल पर रॉयल्टी से राजस्व।

संचित्र 1.6: वर्ष 2014-19 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के घटक
(अंश प्रतिशत में)



वर्ष 2018-19 के दौरान कर-भिन्न राजस्व (₹ 18,603 करोड़), जो राजस्व प्राप्तियों का 13 प्रतिशत था, गत वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत (₹ 2,869 करोड़) से बढ़ा यह पैट्रोलियम से ₹ 1,304 करोड़ (51 प्रतिशत), सार्वजनिक क्षेत्रों एवं अन्य उपक्रमों से ब्याज प्राप्तियाँ ₹ 932 करोड़ (19 प्रतिशत) एवं अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग ₹ 780 करोड़ (17 प्रतिशत) के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुआ।

1.4.2 केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान सहित केन्द्र सरकार से हस्तान्तरण

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा केन्द्रीय करों में राज्यों के 32 प्रतिशत हिस्से (तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश) को बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई थी। केन्द्रीय करों के निवल आगमों एवं सेवा करों के निवल आगमों में राज्य का हिस्सा क्रमशः 5.50 प्रतिशत एवं 5.65 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। भारत सरकार से केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा सहायतार्थ-अनुदान के घटकों को तालिका 1.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.14: केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान के विभिन्न घटकों का हस्तान्तरण

(₹ करोड़ में)

केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
(अ) केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश					
सीमा शुल्क	3,205	4,464	4,620	3,735	2,966
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1,810	3,731	5,275	3,905	1,971
सेवा कर	2,921	4,864	5,433	4,227	389
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	520	10,329
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	3,736	824
निगम कर	6,920	8,760	10,739	11,334	14,553
निगम कर से भिन्न आय पर कर	4,942	6,073	7,464	9,571	10,718

केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
धन कर	19	2	25	- ¹³	5
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	-	22	- ¹⁴	- ¹⁵	22
अन्य	-	-	-	-	76
योग (अ)	19,817	27,916	33,556	37,028	41,853
आयोजना-भिन्न अनुदान	4,527	5,241	5,928	-	-
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	14,885	12,957	13,462	-	-
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं सहित)	196	530	93	-	-
केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं	-	-	-	16,104	13,317
वित्त आयोग अनुदान	-	-	-	4,262	3,121
राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान	-	-	-	3,574	3,599
योग (ब)	19,608	18,728	19,483	23,940	20,037
कुलयोग (अ) + (ब)	39,425	46,644	53,039	60,968	61,890

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त स्थिति से पता चलता है कि वर्ष 2018-19 के दौरान, केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश गत वर्ष की तुलना में ₹ 4,825 करोड़ से बढ़ा एवं यह राजस्व प्राप्तियां का 30 प्रतिशत था। वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार से कुल अन्तरण (कर हस्तान्तरण एवं सहायतार्थ-अनुदान सहित) मुख्यतः निगम कर में वृद्धि के कारण गत वर्ष की तुलना में 1.5 प्रतिशत (₹ 922 करोड़) बढ़ा।

1.4.3 चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग

चौदहवें वित्त आयोग ने 01 अप्रैल, 2015 से प्रारम्भ पाँच वर्षीय अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 2014 में प्रस्तुत की। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2015-2020 के दौरान भारत सरकार ने राज्य सरकार को सहायतार्थ अनुदान राशि ₹ 24,240.75 करोड़ (राज्य आपदा मोचन निधि में राज्य के हिस्से सहित) का आवंटन किया।

सहायतार्थ अनुदान के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 11 जनवरी 2016 को एक उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति (एचएलएमसी) गठित की। वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान, अनुदान के उपयोग के अनुश्रवण या मूल्यांकन के लिए एचएलएमसी द्वारा कोई बैठक नहीं बुलाई गई।

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों, भारत सरकार द्वारा जारी की गई तथा राज्य सरकार द्वारा अनुवर्ती अंतरणों की स्थिति तालिका 1.15 में दी गई है।

¹³ ₹ (-) 0.34 करोड़।

¹⁴ ₹ 0.09 करोड़।

¹⁵ ₹ (-) 0.01 करोड़।

तालिका 1.15: सहायतार्थ अनुदान की अनुशंसित, वास्तविक जारी की गई तथा अन्तरित राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अन्तरण	वर्ष 2015-20 के लिए चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा	चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा			भारत सरकार द्वारा वास्तविक जारी			राज्य सरकार द्वारा जारी		
			2015-16 से 2017-18	2018-19	योग	2015-16 से 2017- 18	2018-19 (कालम 5 का प्रतिशत)	योग	2015-16 से 2017- 18	2018-19	योग (कालम 9 का प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	स्थानीय निकाय										
	(i) पीआरआई को अनुदान	13,633.63	6,434.94	3,067.80	9,502.74	6,434.94	1,362.11 (44.40)	7,797.05	6,434.94	1,362.11	7,797.05 (100.00)
	(अ) सामान्य मूल अनुदान	12,270.27	5,865.04	2,724.22	8,589.26	5,865.04	1,362.11 (50.00)	7,227.15	5,865.04	1,362.11	7,227.15 (100.00)
	(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	1,363.36	569.90	343.58	913.48	569.90	- (0.00)	569.90	569.90	-	569.90 (100.00)
	(ii) यूएलबी को अनुदान	4,513.12	2,103.08	1,029.07	3,132.15	1,902.78	801.60 (77.90)	2,704.38	1,902.78	801.60	2,704.38 (100.00)
	(अ) सामान्य मूल अनुदान	3,610.50	1,725.78	801.60	2,527.38	1,725.78	801.60 (100.00)	2,527.38	1,725.78	801.60	2,527.38 (100.00)
	(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	902.62	377.30	227.47	604.77	177.00	- (0.00)	177.00	177.00	-	177.00 (100.00)
	योग (1)	18,146.75	8,538.02	4,096.87	12,634.89	8,337.72	2,163.71 (52.81)	10,501.43	8,337.72	2,163.71	10,501.43 (100.00)
2	राज्य आपदा मोचन निधि*	6,094.00	3,477.00	1,277.00	4,754.00	3,477.00	1,277.00 (100.00)	4,754.00	3,477.00	1,181.22	4,658.22 (97.99)
	महायोग (1 से 2)	24,240.75	12,015.02	5,373.87	17,388.89	11,814.72	3,440.71 (64.03)	15,255.43	11,814.72	3,344.93	15,159.65 (99.37)

* कुल अनुदान में राज्यांश के 25 प्रतिशत सहित।

स्रोत: चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं वित्त लेखे

पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को अंतरण

- वर्ष 2018-19 के दौरान, प्रथम किशत के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) देरी से प्रस्तुत (6 मार्च 2019) किए जाने के कारण भारत सरकार ने सामान्य मूल अनुदान की द्वितीय किशत राशि ₹ 1,362.11 करोड़ पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को जारी नहीं की। तथापि, इसे आगामी वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2019) में जारी कर दिया गया था।
- भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए पीआरआई को सामान्य निष्पादन अनुदान राशि ₹ 343.58 करोड़ भारत सरकार द्वारा निर्धारित दो अनिवार्य शर्तों, यथा (i) लेखापरीक्षित लेखों को प्रस्तुत करना एवं (ii) स्वयं के स्रोतों से राजस्व में वृद्धि करने, की अनुपालना नहीं करने के कारण जारी नहीं की। यद्यपि, भारत सरकार को अपेक्षित सूचना बाद में (20 जून 2019) प्रेषित कर दी गई थी, लेकिन सामान्य निष्पादन अनुदान (अगस्त 2019) अभी तक प्रतीक्षित था।
- भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर स्थानीय निकाय अनुदान को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्वाचित स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित किया जाना था। यद्यपि राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थानों के लिए दिनांक 13 जून 2018 को प्रथम किशत की राशि ₹ 1,362.11 करोड़ प्राप्त हुई थी परन्तु इसे ग्राम पंचायतों को 11 जुलाई 2018 को अर्थात् 14 दिन

की देरी से हस्तांतरित किया गया था। अनुदान के देरी से हस्तान्तरण के कारण, चौदहवें वित्त आयोग की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार को ₹ 3.39 करोड़ के जुर्माना ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को हस्तान्तरण

1. चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान के भाग जिसे निर्धारित अवधि में वितरित नहीं किया जा सका था, पर ब्याज के हस्तान्तरण नहीं करने के कारण भारत सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 200.30 करोड़ एवं वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 227.47 करोड़ का सामान्य निष्पादन अनुदान जारी नहीं किया।
2. यह भी देखा गया कि वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान स्वायत्त शासन विभाग द्वारा मूल अनुदान के रूप में ₹ 2,527.38 करोड़ प्राप्त किये जिसके समक्ष मात्र ₹ 1,496.22 करोड़ (59.20 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाण-पत्र अगस्त 2019 तक प्राप्त किए।

इसी प्रकार, वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त ₹ 177 करोड़ के निष्पादन अनुदानों के समक्ष मात्र ₹ 122.03 करोड़ (68.94 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए। इससे यह इंगित होता है कि अधिकांश प्राप्त अनुदान अनूपयोजित है।

राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) को हस्तान्तरण के बारे में विवरण अनुच्छेद 1.10.4.1 में दिया गया है।

राजस्थान सरकार द्वारा पिछली किशतों के उपयोगिता प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं निष्पादन अनुदानों के लिए शर्तों की अनुपालना नहीं होने के कारण भारत सरकार द्वारा चौदहवें वित्त आयोग की अनुदान राशि ₹ 1,933.16 करोड़ {पंचायती राज संस्थानों को सामान्य मूल अनुदान की द्वितीय किशत के ₹ 1,362.11 करोड़ एवं पंचायती राज संस्थानों तथा शहरी स्थानीय निकायों को निष्पादन अनुदानों के ₹ 571.05 करोड़ } जारी नहीं की गई।

सिफारिश 4:

राज्य सरकार को चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों का पूर्णरूपेण निर्गम सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थानों तथा शहरी स्थानीय निकायों में समय पर उपयोगिता प्रमाण प्राप्त/प्रस्तुत करने से सम्बन्धित प्रणाली तथा निर्धारित लेखाकरण एवं लेखापरीक्षा प्रणाली तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए।

1.5 पूँजीगत प्राप्तियाँ

वर्ष 2014-19 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृत्तियों को तालिका 1.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.16: पूँजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य प्राप्तियों के स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पूँजीगत प्राप्तियाँ (सीआर)	19,160	62,470	45,630	43,707	53,025
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	15	25	28	16	20
ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	1,004	1,447	1,713	15,134	15,158
लोक ऋण प्राप्तियाँ	18,141	60,998	43,889	28,557	37,847
ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	25.2	236.2	(-) 28.0	(-) 34.9	32.5
गैर-ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	212.6	44.5	18.3	770.2	0.2
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	29.3	226.0	(-) 27.0	(-) 4.2	21.3

स्रोत: वित्त लेखे

1.5.1 पूँजीगत प्राप्तियाँ

राज्य की पूँजीगत प्राप्तियाँ (ऋण एवं गैर-ऋण प्राप्तियाँ) वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक 44 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी तथा वर्ष 2018-19 के दौरान, यह गत वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत बढ़ी।

1.5.2 कर्ज एवं अग्रिम की वसूलियाँ

वर्ष 2018-19 के दौरान, कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ गत वर्ष के ₹ 15,134 करोड़ से ₹ 24 करोड़ बढ़कर 2018-19 में ₹ 15,158 करोड़ हो गईं। ₹ 15,158 करोड़ में से ₹ 15,000 करोड़ उदय योजना के अन्तर्गत दिए गए कर्ज के समायोजन के पेटे थी। उदय योजना के अन्तर्गत डिस्कॉम को वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान दिए गए कर्ज को वर्ष 2018-19 के दौरान इक्विटी और सब्सिडी में परिवर्तित कर दिया गया।

1.5.3 लोक ऋण प्राप्तियाँ

इसमें मुख्य रूप से आन्तरिक ऋण प्राप्तियाँ यथा बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण एवं भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम शामिल हैं।

• आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

वर्ष 2018-19 के दौरान, लोक ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत आन्तरिक ऋण प्राप्तियों यथा बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों, बैंकों इत्यादि से उधार में गत वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत (₹ 9,290 करोड़) की वृद्धि हुई, जिसमें से बाजार ऋण प्राप्तियाँ गत वर्ष की तुलना में ₹ 8,264 करोड़ से बढ़ी।

• **भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम**

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य के लिए खण्ड ऋणों¹⁶ की अधिक प्राप्तियों के कारण भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम की प्राप्तियाँ (₹ 2,642 करोड़) गत वर्ष (₹ 1,557 करोड़) की तुलना में 70 प्रतिशत (₹ 1,085 करोड़) बढ़ी।

1.6 लोक लेखा

कुछ व्यवहारों जैसे अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमा, उचन्त, प्रेषण से सम्बन्धित प्राप्तियों एवं संवितरणों, जो कि समेकित निधि के भाग नहीं हैं, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है तथा यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यक्षीन नहीं होता है। यहाँ, सरकार एक बैकर के रूप में कार्य करती है और संवितरणों के बाद शेष राशि का उपयोग करती है। गत पाँच वर्षों के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण तालिका 1.17 में दिया गया है।

तालिका 1.17: वर्षों के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों के घटक

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत संसाधन	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
(अ) लोक लेखा प्राप्तियाँ					
अ. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	7,082	7,967	8,620	9,346	12,849
ब. आरक्षित निधियाँ	1,724	3,678	3,068	3,466	4,150
स. जमा तथा अग्रिम	1,07,067	1,25,570	1,44,292	1,42,603	1,51,092
द. उचन्त तथा विविध	22	78	(-) 67	51	08
य. प्रेषण	10,487	9,617	132	1,345	2,429 ¹⁷
योग (अ)	1,26,382	1,46,910	1,56,045	1,56,811	1,70,528
(ब) लोक लेखा संवितरण					
अ. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	4,100	4,700	5,240	6,145	7,466
ब. आरक्षित निधियाँ	1,752	2,760	2,409	2,630	3,583
स. जमा तथा अग्रिम	1,05,658	1,23,315	1,41,050	1,36,900	1,47,036
द. उचन्त तथा विविध	62	19	52	78	65
य. प्रेषण	10,488	9,637	135	1,335	2,420
योग (ब)	1,22,060	1,40,431	1,48,886	1,47,088	1,60,570
निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ (अ-ब)	4,322	6,479	7,159	9,723	9,958

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2018-19 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में ₹ 13,717 करोड़ (8.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः जमा तथा अग्रिमों में ₹ 8,489 करोड़ से, अल्प बचत, भविष्य निधि आदि में ₹ 3,503 करोड़ से तथा प्रेषणों में ₹ 1,084 करोड़ से हुई।

¹⁶ मुख्य शीर्ष 6004- भारत सरकार से कर्जे के अन्तर्गत 'खण्ड ऋण' एक लघु शीर्ष है।

¹⁷ इसमें खजानों तथा मुद्रा तिजोरियों के बीच नकद प्रेषण: ₹ 2,420.14 करोड़, लोक निर्माण प्रेषण: ₹ 9.28 करोड़ तथा वन प्रेषण: ₹ 0.02 करोड़ शामिल है।

वर्ष 2014-19 के दौरान राज्य की निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ 33 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2014-15 के ₹ 4,322 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 9,958 करोड़ हो गयी। तथापि, वर्ष 2018-19 के दौरान निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ गत वर्ष की तुलना में केवल 2.4 प्रतिशत से बढ़ी।

1.7 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्य व्यय का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की रूपरेखा के दायरे में, घाटे अथवा उधारों से वित्त पोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय रूकावटें होती हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है कि राज्य स्तर पर चल रहे राजकोषीय सुधार एवं सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया कहीं व्यय, विशेषतया सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए निर्दिष्ट व्यय में कमी के कारण तो नहीं है।

1.7.1 कुल व्यय

नीचे दी गई तालिका, पाँच वर्षों (2014-19) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करती है और संचित्र 1.7 'आर्थिक वर्गीकरण' के रूप में इसके संयोजन को दर्शाती है।


कुल व्यय के घटक- सापेक्ष भाग

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व व्यय	94,542	1,06,239	1,27,140	1,45,842	1,66,773
पूँजीगत व्यय	16,103	21,986	16,980	20,623	19,638
कर्ज एवं अग्रिम	701	36,602	12,965	1,334	1,113
कुल व्यय	1,11,346	1,64,827	1,57,085	1,67,799	1,87,524

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य का कुल व्यय वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 के दौरान 17 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ बढ़ा। वर्ष 2018-19 के दौरान, इसमें गत वर्ष से 11.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, पूँजीगत व्यय की कुल व्यय से प्रतिशतता वर्ष 2014-15 के 14.5 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2018-19 में 10.5 प्रतिशत रह गयी।




1.7.2 गतिविधियों के संदर्भ में कुल व्यय की प्रवृत्तियाँ

गतिविधियों के संदर्भ में, कुल व्यय को ब्याज अदायगियों सहित सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ तथा कर्ज एवं अग्रिम के व्यय शामिल माने जा सकते हैं। कुल व्यय में इन सम्बन्धित घटकों के सापेक्ष अंश को नीचे तालिका एवं संचित्र 1.8 में दर्शाया गया है।

कुल व्यय के घटक-सापेक्ष अंश

	(प्रतिशत में)				
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सामान्य सेवाएँ	25.5	19.1	25.2	26.2	29.3
जिसमें से, ब्याज अदायगियों	9.4	7.3	11.3	11.8	11.6
सामाजिक सेवाएँ	39.2	29.9	35.4	35.9	38.7
आर्थिक सेवाएँ	34.7	28.8	31.1	37.1	31.4
कर्ज एवं अग्रिम	0.6	22.2	8.3	0.8	0.6
स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे					

संचित्र 1.8: कुल व्यय: प्रवृत्तियाँ एवं गतिविधि वार संयोजन (प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि:

- वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान, कुल व्यय में सामान्य एवं सामाजिक सेवाओं के सापेक्ष अंश में वृद्धि मुख्य रूप से सामान्य शिक्षा, पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ, ब्याज अदायगियों, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, पुलिस तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि के कारण हुई, तथापि, आर्थिक सेवा के सापेक्ष अंश में कमी अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विद्युत एवं ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत व्यय में कमी के कारण हुई।

- वर्ष 2018-19 के दौरान कुल व्यय में ऋण एवं अग्रिम के सापेक्ष अंश में भी कमी राज्य सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण एवं अग्रिम जारी करने में कमी के कारण हुई।

राजस्व व्यय

राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने एवं पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है और इसी कारण, राज्य के आधारभूत ढाँचे एवं सेवाओं के तंत्र में किसी प्रकार की वृद्धि में योगदान नहीं देता है।

वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 88.9 प्रतिशत था। यह वर्ष 2014-15 के ₹ 94,542 करोड़ से 19 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 1,66,773 करोड़ हो गया। वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व व्यय में गत वर्ष की तुलना में 14.4 प्रतिशत (₹ 20,931 करोड़) की वृद्धि मुख्यतः सामान्य शिक्षा (₹ 7,870 करोड़), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभ (₹ 6,471 करोड़), सहकारिता (₹ 3,222 करोड़), ब्याज अदायगियाँ (₹ 1,975 करोड़), चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (₹ 1,862 करोड़), पुलिस (₹ 1,445 करोड़), सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (₹ 1,196 करोड़), तथा जनगणना सर्वे एवं सांख्यिकी (₹ 874 करोड़) के अन्तर्गत वृद्धि के कारण हुई।

पूँजीगत व्यय

वर्ष 2018-19 के दौरान पूँजीगत व्यय ₹ 19,638.20 करोड़ था। कुल व्यय पर पूँजीगत व्यय का प्रतिशत वर्ष 2017-18 के 12.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 के दौरान 10.5 प्रतिशत रह गया। यह वर्ष 2014-15 के ₹ 16,103 करोड़ से 5 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 19,638 करोड़ हो गया। वर्ष 2018-19 के दौरान, पूँजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत (₹ 985 करोड़) की कमी हुई। यह कमी मुख्यतः जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 721 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 422 करोड़) तथा सड़क एवं सेतु पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 378 करोड़) के अन्तर्गत हुई।

इसके अलावा, वर्ष 2018-19 के दौरान पूँजीगत व्यय ₹ 19,638.20 करोड़ में से राज्य सरकार ने सरकारी कम्पनियों और सहकारी समितियों/बैंकों/समितियों में ₹ 4,080.79 करोड़ (पूँजीगत व्यय का 21 प्रतिशत) का निवेश किया। इसमें से, सरकार द्वारा संचित हानि ₹ 95,506 करोड़ एवं ऋणात्मक कुल मूल्य ₹ 59,097.74 करोड़ वाली पाँच विद्युत कम्पनियों अर्थात् राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में ₹ 3,822.30 करोड़ (पूँजीगत व्यय का 19.5 प्रतिशत) निवेश किया गया (परिशिष्ट 1.9) ।

सिफारिश 5:

चूँकि उन कम्पनियों में जहाँ संचित घाटे के परिणामस्वरूप कुल लागत का क्षरण हुआ है, किए गये निवेश पर प्रतिलाभ प्राप्त करने की संभावना, अल्प है, राज्य सरकार इन कंपनियों को भविष्य में भुगतान अंश पूंजी के बजाय अनुदान के रूप में करने पर विचार कर सकती है।

1.7.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते में राज्य सरकार का प्रतिबद्ध व्यय मुख्यतः ब्याज अदायगियों, वेतन तथा मजदूरी पर व्यय, पेन्शन भुगतान तथा अर्थ-सहाय्य से बनता है। वर्ष 2018-19 के दौरान, प्रतिबद्ध व्यय ₹ 1,13,421 करोड़ हुआ, जो कि कुल राजस्व व्यय का 68 प्रतिशत रहा। तालिका 1.18, वर्ष 2014-19 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.18: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

	(₹ करोड़ में)				
प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वेतन एवं मजदूरी	23,498 (25.7)	25,871 (25.8)	30,016 (27.5)	37,611 (29.6)	49,790* (36.1)
ब्याज अदायगियाँ	10,463 (11.5)	12,008 (12.0)	17,677 (16.2)	19,720 (15.5)	21,695 (15.7)
पेन्शन पर व्यय	9,629 (10.6)	10,864 (10.8)	12,296 (11.3)	13,925 (10.9)	20,396 (14.8)
अर्थ-सहाय्य	8,626 (9.4)	10,461 (10.4)	17,208 (15.8)	23,674 (18.6)	21,540 (15.6)
कुल प्रतिबद्ध व्यय	52,216 (57.2)	59,204 (59.0)	77,197 (70.8)	94,930 (74.6)	1,13,421 (82.2)
अन्य घटक	42,326 (46.3)	47,035 (46.9)	49,943 (45.8)	50,912** (40.0)	53,352** (38.7)
कुल राजस्व व्यय	94,542	1,06,239	1,27,140	1,45,842	1,66,773
राजस्व प्राप्तियाँ	91,327	1,00,285	1,09,026	1,27,307	1,37,873
राजस्व व्यय से प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय	55.2	55.7	60.7	65.1	68.0
टिप्पणी: कोष्ठक में दी गयी संख्या राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता दर्शाती है।					
* वेतन: ₹ 49,138 करोड़ एवं मजदूरी ₹ 652 करोड़।					
** वित्तीय सहायता (सहायतार्थ अनुदान): ₹ 29,171 करोड़; सहायतार्थ अनुदान सामान्य (वेतन): ₹ 5,691 करोड़; समेकित निधि से लोक लेखा में निधियों का अंतरण: ₹ 4,485 करोड़ तथा अनुरक्षण एवं मरम्मत: ₹ 717 करोड़ पर व्यय सम्मिलित है।					

स्रोत: वित्त लेखे

प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व व्यय में अंश वर्ष 2014-15 के 55.2 प्रतिशत से लगातार बढ़कर वर्ष 2018-19 में 68.0 प्रतिशत हो गया। प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात भी वर्ष 2014-15 के 57.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 82.2 प्रतिशत हो गया।

1.7.3.1 वेतन तथा मजदूरी

वेतन तथा मजदूरी पर व्यय वर्ष 2014-15 के ₹ 23,498 करोड़ से 28 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 49,790 करोड़ हो गया। वर्ष 2018-19 के दौरान, वेतन तथा मजदूरी पर व्यय में गत वर्ष की तुलना में 32 प्रतिशत की वृद्धि रही, जोकि वर्ष 2017-18 में 25 प्रतिशत थी। यह एमटीएफपीएस (₹ 48,949 करोड़) में राज्य सरकार द्वारा किये गये आंकलन से ₹ 841 करोड़ अधिक था।

1.7.3.2 पेन्शन भुगतान

समग्र पेन्शन भुगतानों पर व्यय वर्ष 2014-15 के ₹ 9,629 करोड़ से 28 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 20,396 करोड़¹⁸ हो गया। वर्ष 2018-19 के दौरान, पेन्शन भुगतान पर गत वर्ष की तुलना में 46 प्रतिशत की वृद्धि दर, पेन्शनरों की कुल संख्या¹⁹ में 10,852 (2.7 प्रतिशत) की बढ़ोतरी के कारण अभिलेखित की गई। राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पर व्यय, वर्ष 2018-19 के दौरान, कुल राजस्व व्यय का 12.2 प्रतिशत (वर्ष 2017-18 में 9.5 प्रतिशत) था।

चौदहवें वित्त आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये अनुमान/आंकलन के साथ वास्तविक पेन्शन भुगतान का तुलनात्मक विश्लेषण दर्शाता है कि वास्तविक पेन्शन भुगतान (₹ 20,396 करोड़) चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक आंकलन (₹ 13,233 करोड़) से 64.8 प्रतिशत अधिक रहा तथा एमटीएफपीएस में राज्य सरकार द्वारा किये गये आंकलन (₹ 19,712 करोड़) से मामूली रूप से 3.5 प्रतिशत अधिक रहा।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्ष 2018-19 के दौरान, एकमात्र वेतन एवं पेन्शन पर किए गए भुगतान का अंश कुल राजस्व व्यय का 42.1 प्रतिशत (गत वर्ष 35.33 प्रतिशत) एवं राजस्व प्राप्तियों का 50.9 प्रतिशत (गत वर्ष 40.50 प्रतिशत) था।

- **नवीन अंशदायी पेंशन योजना**²⁰

राजस्थान में 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त सभी सरकारी सेवकों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना जिसे नवीन अंशदायी पेंशन योजना

¹⁸ इसमें 31 दिसम्बर 2003 या इससे पहले के भर्ती राज्य सरकार के कर्मचारियों पर "पेन्शन तथा सेवानिवृत्ति हित लाभ" के पेटे वर्तमान वर्ष के दौरान हुये व्यय ₹ 18,597.16 करोड़ तथा परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में सरकारी अंशदान के ₹ 1,799.10 करोड़ शामिल है।

¹⁹ पेन्शनरों की संख्या 2017-18: 4,02,444 एवं 2018-19: 4,13,296

²⁰ दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने एक पेंशन योजना प्रारम्भ की, जिसे राजस्थान में नवीन अंशदायी पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है।

(एनपीएस) के नाम से जाना जाता है, लागू की जा चुकी है। दिशा निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी को मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान प्रत्येक महीने देना अनिवार्य है तथा इसके लिए सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान दिया जाना है। अंशदान विवरण तथा निर्दिष्ट राशियों को नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा नवीन पेंशन योजना ट्रस्ट द्वारा नियुक्त निधि प्रबंधकों को हस्तान्तरित किया जाना है।

राजस्थान सरकार ने पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रारूपित नवीन पेंशन योजना आर्किटेक्चर को नामित किया तथा 09 नवम्बर 2010 को एनएसडीएल के साथ एवं 02 दिसम्बर 2010 को नवीन पेंशन योजना ट्रस्ट के साथ समझौता किया। अंशदान विवरण तथा निर्दिष्ट राशियों को नवम्बर 2011 से एनएसडीएल तथा ट्रस्टी बैंक को हस्तान्तरित किया जा रहा है। नवम्बर 2011 से पहले, पेंशन लेखे में कर्मचारियों के अंशदान एवं सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान (वर्ष 2011-12 तक सम्बन्धित वेतन शीर्ष खाते से) को सम्बन्धित कोषागार अधिकारियों द्वारा संधारित ब्याज सहित निजी निक्षेप (पीडी) खाते में बजट शीर्ष 8011-106-103-01 में जमा किया जा रहा था, जिसे लीगेसी राशि भी कहा जाता है।

निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि (एसआईपीएफ), द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, 31 अक्टूबर 2011 को ₹ 1,393.92 करोड़ (कर्मचारी अंशदान ₹ 620.34 करोड़, नियोक्ता अंशदान ₹ 620.34 करोड़ तथा ब्याज ₹ 153.24 करोड़) की लीगेसी राशि²¹ पीडी खाते में पड़ी हुई थी। एनएसडीएल को लीगेसी राशि के हस्तान्तरण का विवरण तालिका 1.19 में दिया गया है।

तालिका 1.19: एनएसडीएल को हस्तान्तरित लीगेसी राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लीगेसी राशि का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान हस्तान्तरित की गई कुल राशि	अहस्तान्तरित लीगेसी राशि	लीगेसी राशि शेष पर ब्याज	हस्तान्तरण योग्य शेष लीगेसी राशि
31/10/2011 तक	1,393.92	0.00	1,393.92	0.00	1,393.92
01/11/2011 से 31/03/2012	1,393.92	0.00	1,393.92	97.41	1,491.33
2012-13	1,491.33	613.58	877.75	56.20	933.95
2013-14	933.95	363.97	569.98	60.00	629.98
2014-15	629.98	297.31	332.67	37.09	369.76
2015-16	369.76	131.66	238.10	34.97	273.07
2016-17	273.07	161.70	111.37	9.46	120.83
2017-18	120.83	65.04	55.79	7.34	63.13
2018-19	63.13	20.72	42.41	4.02	46.43

उपरोक्त तालिका से, यह स्पष्ट है कि 31 मार्च 2019 को, लीगेसी राशि के पेटे ₹ 46.43 करोड़ की शेष राशि एनएसडीएल को हस्तान्तरण के लिए लम्बित है। इसके अलावा, यह पाया गया कि जावक एवं आवक प्रविष्टियों के मिलान नहीं

²¹ 1 जनवरी 2004 से 31 अक्टूबर 2011 की अवधि के लिए कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनों का अंशदान।

होने के कारण नौ जिला कोषागार कार्यालयों²² में राशि ₹ 7.33 करोड़ के ऋणात्मक शेष थे और जिनके मिलान करने की आवश्यकता है।

निदेशालय, एसआईपीएफ ने सूचित किया (नवम्बर 2019) कि 01 अक्टूबर 2019 को, पी.आर.ए.एन. संख्या के मेल न खाने, कटौती विवरणों की अनुपलब्धता आदि समाशोधन मुद्दों के कारण ₹ 40.65 करोड़ की लीगेसी राशि हस्तान्तरण के लिए लम्बित है।

नवम्बर 2011 से, राजस्थान सरकार अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के अधिकारियों के अंशदान के लिए मुख्य शीर्ष 8342-117 तथा अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों के अंशदान के सम्बन्ध में मुख्य शीर्ष 8011-106 संचालित करती है। एसआईपीएफ विभाग द्वारा 01 अप्रैल 2012 से कर्मचारियों के अंशदान को सम्बन्धित शीर्ष में हस्तान्तरित किया जा रहा है तथा सरकार के अंशदान को मुख्य शीर्ष 2071-01-117-01-89 से आहरित कर आगे एनएसडीएल एवं एनपीएस ट्रस्ट को हस्तान्तरण के लिए दिया जा रहा है।

यह देखा गया कि मार्च 2019 तक कर्मचारियों की अंशदान राशि ₹ 105.75 करोड़ एनएसडीएल को हस्तान्तरण करने के लिए लम्बित है। विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर 2019) कि एनपीएस में नियमित अंशदान का हस्तान्तरण प्रक्रियागत मुद्दों के कारण लम्बित है।

इस प्रकार, राशि ₹ 257.93 करोड़ (लीगेसी राशि ₹ 46.43 करोड़, कर्मचारियों का अंशदान: ₹ 105.75 करोड़ तथा नियोक्ता का समतुल्य सह-अंशदान: ₹ 105.75 करोड़) मार्च 2019 तक एनएसडीएल को हस्तान्तरण करने के लिए लम्बित थी।

वर्तमान दायित्व आगामी वर्षों के लिए स्थगित किये गये। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा एनएसडीएल को हस्तांतरित नहीं की गई राशि पर ब्याज का दायित्व निर्मित कर लिया गया। सरकार ने अपने कर्मचारियों से संबंधित निधियों का अनुचित रूप से उपयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को प्रतिलाभ दर में/सरकार को परिहार्य वित्तीय दायित्व म. संभावित अनिश्चितता तथा अंततोगत्वा योजना की विफलता हो सकती है ।

सिफारिश 6:

राज्य सरकार को सम्बन्धित एनपीएस लाभार्थियों की पहचान कर एनपीएस की शेष लीगेसी राशि एनएसडीएल को हस्तान्तरित कर देनी चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना के तहत लाभार्थियों को उनके उचित लाभों से वंचित नहीं किया गया है।

²² सवाई माधोपुर: ₹ 2.58 लाख, बूंदी: ₹ 12.19 लाख, कोटा: ₹ 25.45 लाख, झुंझुनु: ₹ 48.33 लाख, झालावाड़: ₹ 58.56 लाख, उदयपुर शहर: ₹ 76.35 लाख, भीलवाड़ा: ₹ 106.46 लाख, अलवर: ₹ 117.53 लाख तथा करौली: ₹ 285.07 लाख।

1.7.3.3 ब्याज अदायगियाँ

ब्याज अदायगियाँ वर्ष 2014-15 के ₹ 10,463 करोड़ से 27 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 21,695 करोड़ हो गई। ब्याज अदायगियाँ गत वर्ष (₹ 19,720 करोड़) की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान (₹ 21,695 करोड़) 10 प्रतिशत बढ़ी जो मुख्यतः आन्तरिक ऋण में ₹ 26,822 करोड़ एवं अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि के कोष में ₹ 3,758 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात, राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करता है। राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों से ब्याज अदायगियों का अनुपात वर्ष के दौरान 15.7 प्रतिशत रहा, जो कि गत वर्ष (15.5 प्रतिशत) से मामूली रूप से अधिक रहा।

वर्ष 2018-19 के दौरान ब्याज अदायगियाँ (₹ 21,695 करोड़) एमटीएफपीएस (₹ 21,413 करोड़) एवं चौदहवें वित्त आयोग (₹ 17,363 करोड़) में किये गये आंकलनों से भी अधिक रही।

1.7.3.4 अर्थ-सहाय्य

एक कल्याणकारी राज्य में समाज के साधनहीन वर्गों को अर्थ-सहाय्य प्रदान किया जाता है। वित्त लेखे का परिशिष्ट II दर्शाता है कि वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 21,540 करोड़ का प्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य जो कि मुख्यतः विद्युत: ₹ 21,204 करोड़ एवं फसल कृषि-कर्म: ₹ 301 करोड़ क्षेत्रों में उपलब्ध कराया गया। यद्यपि वर्ष 2018-19 (₹ 21,540 करोड़) के दौरान अर्थ-सहाय्यों पर भुगतान गत वर्ष (₹ 23,674 करोड़) की तुलना में 9 प्रतिशत से कम रहा, यह वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व व्यय का 13 प्रतिशत तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का 16 प्रतिशत था।

इसके अतिरिक्त, विद्युत क्षेत्र को प्रदान किया गया अर्थ-सहाय्य कुल अर्थ-सहाय्य का 98.8 प्रतिशत था। वर्ष 2018-19 के दौरान, विद्युत क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य मुख्यतः विद्युत शुल्क हेतु अनुदान (₹ 1,493 करोड़), विद्युत दरों में वृद्धि न करने हेतु अनुदान (₹ 7,681 करोड़) तथा उदय योजना के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों को सहायता (₹ 12,000 करोड़) हेतु प्रदान की गई थी। इसके अलावा, विद्युत क्षेत्र की अर्थ-सहाय्य वर्ष 2009-10 से 2018-19 के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की गई कुल अर्थ-सहाय्य के 88 प्रतिशत से 99 प्रतिशत के मध्य रही (परिशिष्ट 1.10)।

विद्युत क्षेत्र अर्थ-सहाय्य (₹ 21,204 करोड़) गत वर्ष (₹ 23,391 करोड़) की तुलना में 9.3 प्रतिशत (₹ 2,187 करोड़) से कम हुई जो मुख्य रूप से “विद्युत

दरों में वृद्धि न करने हेतु अनुदान” ₹ 1,077.82 करोड़²³ एवं “विद्युत शुल्क हेतु अनुदान” में ₹ 1,119.88 करोड़²⁴ की कमी के कारण हुई।

तथापि, फसल कृषि-कर्म में अर्थ-सहाय्य वर्ष 2017-18 के ₹ 251 करोड़ से 20 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 301 करोड़ हो गया।

1.7.4 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

वर्ष 2018-19 में, राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को अनुदानों एवं ऋणों के रूप में ₹ 34,862.21 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। गत वर्ष (₹ 34,985.10 करोड़) की तुलना में सहायता की समग्र मात्रा में सीमान्त कमी (1.77 प्रतिशत) रही जो कि मुख्य रूप से पीआरआई को सहायता में 20 प्रतिशत की कटौती के कारण हुई।

वर्ष 2014-19 के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य को अनुदान एवं कर्जों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सहायता की मात्रा को तालिका 1.20 में दिया गया है।

तालिका 1.20: स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	(₹ करोड़ में)				
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
(अ) स्थानीय निकाय					
नगर निगम एवं नगरपालिकाएँ	2,450.65	3,063.89	3,839.93	3,695.48	3,811.13
पंचायती राज संस्थाएँ	13,833.28	15,981.85	14,472.66	18,550.27	14,834.25
योग (अ)	16,283.93	19,045.74	18,312.59	22,245.75	18,645.38
(ब) अन्य					
शैक्षणिक संस्थाएँ (अनुदानित विद्यालय, अनुदानित कॉलेज विश्वविद्यालय इत्यादि)	1,128.22	1,239.54	1,671.13	1,283.29	1,452.88
विकास अभिकरण	6.93	6.19	7.61	11.68	13.65
अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	169.47	116.62	77.41	918.96	1,241.07
अन्य संस्थाएँ	10,740.54	11,316.72	12,823.46	10,525.42	13,509.23 ²⁵
योग (ब)	12,045.16	12,679.07	14,579.61	12,739.35	16,216.83
योग (अ+ब)	28,329.09	31,724.81	32,892.20	34,985.10	34,862.21
राजस्व व्यय	94,542	1,06,239	1,27,140	1,45,842	1,66,773
राजस्व व्यय से सहायता का प्रतिशत	30	30	26	24	21

स्रोत: वित्त लेखे

23 (i) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 234.67 करोड़, (ii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 120.01 करोड़ तथा (iii) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 723.14 करोड़।

24 (i) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 487.23 करोड़, (ii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 332.64 करोड़ तथा (iii) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 300.01 करोड़।

25 इसमें (i) सहकारी संस्थाओं: ₹ 3,700 करोड़; (ii) शिक्षा: ₹ 2,214 करोड़; (iii) परिवार कल्याण: ₹ 1,906 करोड़; (iv) प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत: ₹ 1,492 करोड़; तथा (v) फसल कृषि-कर्म: ₹ 1,037 करोड़ के लिए दिया जाने वाला अनुदान शामिल है।

1.8 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत ढाँचे की उपलब्धता उसके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार में मूलतः तीन दृष्टिकोण, यथा व्यय की पर्याप्तता (लोक सेवाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान), दक्षता तथा प्रभावोत्पादकता (चयनित सेवाओं के लिए परिव्यय-परिणाम के सम्बन्धों का निर्धारण) शामिल होते हैं।

1.8.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक आधारभूत ढाँचे से सम्बन्धित व्यय की राज्य सरकारों को सौपी गयी जिम्मेदारियां मुख्यतया राज्य के विषय है। मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि राज्य मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि पर अपने व्यय को बढ़ाये। किसी एक क्षेत्र विशेष में न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (किसी एक श्रेणी के अन्तर्गत व्यय का समग्र व्यय से अनुपात) इसे सम्बन्धित राष्ट्रीय औसत से नीचे कर देती है।

तालिका 1.21, वर्ष 2014-15, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में राज्य सरकार की समग्र व्यय, विकासात्मक व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा पूँजीगत व्यय के सम्बन्ध में राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.21: वर्ष 2014-15, 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	समग्र व्यय/ जीएसडीपी	सामाजिक क्षेत्र व्यय/ समग्र व्यय	आर्थिक क्षेत्र व्यय/ समग्र व्यय	विकासात्मक व्यय # / समग्र व्यय	पूँजीगत व्यय/ समग्र व्यय	शिक्षा/समग्र व्यय	स्वास्थ्य/ समग्र व्यय
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) वर्ष 2014-15	16.0	36.2	32.3	68.5	14.0	16.5	4.9
राजस्थान (अनुपात) वर्ष 2014-15	18.1	39.4	35.1	74.5	14.5	17.4	5.8
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) वर्ष 2017-18	16.1	36.7	31.2	67.9	14.4	15.5	5.1
राजस्थान (अनुपात) वर्ष 2017-18	20.1	36.1	37.7	73.8	12.3	16.2	6.0
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) वर्ष 2018-19	16.1	36.6	30.4	67.0	14.3	15.0	5.1
राजस्थान (अनुपात) वर्ष 2018-19	20.2	38.8	31.9	70.7	10.5	18.9	6.3

विकासात्मक व्यय में विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल है। शब्दावली पृष्ठ 178 पर देखें।

स्रोत: (i) राजस्थान की जीएसडीपी के लिए वित्त लेखे तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार से संग्रहित सूचना।

तालिका 1.21 निम्नानुसार इंगित करती है:

- वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य में जीएसडीपी से समग्र व्यय का अनुपात (20.2 प्रतिशत) सामान्य श्रेणी राज्यों (16.1 प्रतिशत) की तुलना में अधिक था।
- राज्य के समग्र व्यय से सामाजिक क्षेत्र व्यय का अनुपात, समग्र व्यय से आर्थिक क्षेत्र व्यय का अनुपात, एवं समग्र व्यय से विकासात्मक व्यय का अनुपात वर्ष 2018-19 के दौरान सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था।
- वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य के समग्र व्यय से पूँजीगत व्यय का अनुपात (10.5 प्रतिशत) सामान्य श्रेणी राज्यों (14.3 प्रतिशत) की तुलना में कम था।
- राज्य के समग्र व्यय से शिक्षा क्षेत्र में व्यय का अनुपात एवं समग्र व्यय से स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय का अनुपात वर्ष 2018-19 के दौरान सामान्य श्रेणी राज्यों की तुलना में अधिक था।

1.8.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास शीर्षों पर सार्वजनिक व्यय के महत्व को देखते हुए राज्य सरकारों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यय सुव्यवस्थीकरण के समुचित उपायों को अपनायें और कोर पब्लिक गुड्स एण्ड मेरिट गुड्स²⁶ के प्रावधान पर बल दें। विकासात्मक व्यय²⁷ के लिए आवंटन में सुधार के अतिरिक्त, व्यय के उपयोग की दक्षता पूँजीगत व्यय का कुल व्यय (एवं/अथवा जीएसडीपी) से अनुपात और विद्यमान सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के प्रचालन एवं रख रखाव पर किये जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात द्वारा भी परिलक्षित होती है। कुल व्यय (एवं/अथवा जीएसडीपी) से इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। तालिका 1.22 वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के समग्र व्यय के सापेक्ष उस वर्ष के बजटीय एवं गत वर्षों के वास्तविक की तुलना में विकासात्मक व्यय की प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.22: विकासात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)					
विकासात्मक व्यय के घटक (सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ)	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
अ. विकासात्मक राजस्व व्यय	66,674 (59.9)	75,223 (45.6)	87,937 (56.0)	1,02,391 (61.0)	1,12,409 (59.9)
ब. विकासात्मक पूँजीगत व्यय	15,569 (14.0)	21,545 (13.1)	16,543 (10.5)	20,096 (12.0)	19,050 (10.2)
स. विकासात्मक कर्जे एवं अग्रिम	701 (0.6)	36,602 (22.2)	12,965 (8.3)	1,334 (0.8)	1,113 (0.6)

²⁶ शब्दावली पृष्ठ 178 पर देखें।

²⁷ शब्दावली पृष्ठ 178 पर देखें।

विकासात्मक व्यय के घटक (सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ)	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
विकासात्मक व्यय (अ से स) (विकासात्मक व्यय कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में)	82,944 (74.5)	1,33,370 (80.9)	1,17,445 (74.8)	1,23,821 (73.8)	1,32,572 (70.7)
गत वर्ष से विकासात्मक व्यय की वृद्धि दर	25.6	60.8	(-) 11.9	5.4	7.1

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट प्रपत्र

विकासात्मक व्यय में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा कर्जे एवं अग्रिम शामिल हैं। इसकी कुल व्यय से प्रतिशतता, वर्ष 2014-15 के 74.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 के दौरान 70.5 प्रतिशत हो गयी।

तालिका 1.23, चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किये गये पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटकों का विवरण दर्शाती है।

तालिका 1.23: चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में व्यय उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	2017-18			2018-19		
	पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात	राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी	संचालन एवं अनुरक्षण	पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात	राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी	संचालन एवं अनुरक्षण
(अ) सामाजिक सेवायें						
सामान्य शिक्षा	1.70	77.48	0.01	2.30	80.26	0.01
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6.57	52.18	0.12	4.21	60.00	0.12
जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	43.32	19.85	0.97	40.50	23.24	1.51
योग (अ)	11.98	51.85	0.37	9.52	56.43	0.24
(ब) आर्थिक सेवायें						
कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ	7.10	33.54	0.57	4.62	25.20	0.22
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	51.55	20.71	8.08	58.69	29.92	7.90
विद्युत एवं ऊर्जा	14.31	0.01	-	15.77	0.01	-
परिवहन	67.58	5.95	24.49	69.50	8.35	19.19
योग (ब)	20.70	5.46	1.49	20.62	7.00	1.09
कुल योग (अ+ब)	16.41*	29.50	0.91	14.49*	35.88	0.59

स्रोत: वित्त लेखे

* (सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय + आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय)/कुल व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत व्यय) * 100)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- कुल राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय का अंश वर्ष 2017-18 में 29.50 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 35.88 प्रतिशत हो गया।

- कुल व्यय से पूँजीगत व्यय का अनुपात वर्ष 2017-18 में 16.41 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2018-19 में 14.49 प्रतिशत रह गया।
- राजस्व व्यय में सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं पर संचालन एवं अनुरक्षण का अंश वर्ष 2017-18 में 0.91 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2018-19 में 0.59 प्रतिशत रह गया।

सिफारिश 7:

राज्य सरकार को व्यय की दक्षता में सुधार करने और भविष्य में राजस्व सृजन की क्षमता को बढ़ाने के लिए, कुल व्यय से पूँजीगत व्यय के अनुपात में सुधार करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

1.8.3 केन्द्रीय सहायता योजनाएँ

राज्य सरकार के बजट 2018-19 के अनुसार, राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत 68 योजनाएँ विद्यमान हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान इन 68 योजनाओं के अन्तर्गत बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति को तालिका 1.24 में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 1.24: केन्द्रीय सहायता

(₹ करोड़ में)

केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं/ कार्यक्रमों की संख्या	राज्य के लिए बजट प्रावधान	राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	भारत सरकार द्वारा जारी राशि	व्यय
68	31,393.18	18,772.96	12,730.27	27,394.06

राज्य के साथ-साथ केन्द्रीय प्रायोजित प्रमुख योजनाओं के अन्तर्गत उनके बजट आवंटन (केन्द्रीय एवं राज्य के हिस्से सहित) के विरुद्ध किये गये व्यय का विश्लेषण किया गया।

उपरोक्त 68 योजनाओं में से, निम्नलिखित सात प्रमुख योजनाओं में बजट प्रावधान के समक्ष व्यय में 30 प्रतिशत से अधिक की कमी रही, जैसा कि तालिका 1.25 में दिया गया है।

तालिका 1.25: केन्द्रीय योजनाओं के सम्बन्ध में व्यय में कमी का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यक्रमों/योजनाओं के नाम	बजट प्रावधान	कुल व्यय	व्यय में कमी	कमी (प्रतिशत में)
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	500.00	201.17	-298.83	60
2	निर्मल भारत अभियान (एनबीए)	2,397.96	720.42	-1,677.54	70
3	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)	3,186.16	2,224.45	-961.71	30
4	एकीकृत जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	560.85	350.61	-210.24	37

क्र. सं.	कार्यक्रमों/योजनाओं के नाम	बजट प्रावधान	कुल व्यय	व्यय में कमी	कमी (प्रतिशत में)
5	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	448.96	144.90	-304.06	68
6	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	794.98	426.19	-368.79	46
7	प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना	333.39	148.53	-184.86	55
	योग	8,222.30	4,216.27	-4,006.03	49

प्रमुख योजनाओं में समुचित निधियों का उपयोग न केवल योजनाओं के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सम्बन्धित विभाग की विफलता को दर्शाता है, बल्कि योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को उनके लाभ से भी वंचित करता है।

1.9 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

एफआरबीएम फ्रेमवर्क के बाद, राज्य से अपने राजकोषीय घाटे को निर्धारित स्तरों पर रखने के साथ अपने पूँजीगत व्यय/निवेश (कर्जे तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं को पूरा करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके साथ ही, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के संक्रमण हेतु, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिलाभ अर्जित करने एवं उधार लिए गए कोषों की लागत को, अपने बजट में अप्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य के रूप में दिखाने के स्थान पर वसूल करने के उपाय प्रारम्भ करने की आवश्यकता होती है। वित्तीय प्रचालनों में पारदर्शिता लाने हेतु अपेक्षित उपाय करने की आवश्यकता होती है। यह भाग गत वर्षों की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेश तथा अन्य पूँजीगत व्यय के विश्लेषण को प्रस्तुत करता है।

1.9.1 पूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम

छ: मुख्य²⁸ एवं 11 मध्यम²⁹ पूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों से प्रकट हुआ कि वर्ष 2018-19 के दौरान इन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व (₹ 77.98 करोड़) पूँजीगत व्यय (₹ 7,541.44 करोड़) का मात्र 1.03 प्रतिशत था। यह प्रत्यक्ष कार्यचालन व्ययों की पूर्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं था। कार्यचालन एवं अनुरक्षण व्यय (₹ 238.50 करोड़) तथा ब्याज प्रभार (₹ 535.08 करोड़) को पूरा करने के पश्चात्, परियोजनाओं को ₹ 695.60 करोड़ की निवल हानि हुई।

²⁸ (i) भोंखड़ा नांगल परियोजना; (ii) चम्बल परियोजना; (iii) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना; (iv) गुड़गांव नहर; (v) जाखम परियोजना तथा (vi) गंग नहर।

²⁹ (i) जवाई नदी परियोजना सेई विपथन योजना; (ii) मेजा परियोजना; (iii) पार्वती परियोजना; (iv) गुढ़ा परियोजना; (v) मोरेल परियोजना; (vi) अलनिया परियोजना; (vii) पश्चिमी बनास परियोजना; (viii) बल्लभ नगर परियोजना; (ix) बढगाँव पाल परियोजना; (x) औरई सिंचाई परियोजना तथा (xi) वैगन विपथन योजना।

1.9.2 अपूर्ण परियोजनाएँ

31 मार्च 2019 को अपूर्ण परियोजनाओं (प्रत्येक ₹ 10 करोड़ से अधिक) से सम्बंधित विभाग-वार सूचना तालिका 1.26 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.26: अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग-वार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की कुल संख्या	सभी अपूर्ण परियोजनाओं की मूल स्वीकृति लागत	43 परियोजनाओं जिन्हें संशोधित किया गया, की मूल अनुमानित लागत		43 अपूर्ण परियोजनाओं की संशोधित लागत	43 संशोधित परियोजनाओं की लागत वृद्धि	31 मार्च 2019 को सभी अपूर्ण परियोजनाओं पर संचित वास्तविक व्यय
			संख्या	राशि			
जल संसाधन विभाग	77	8,403.00	25	3,849.77	13,027.62	9,177.85	7,508.74
सार्वजनिक निर्माण विभाग	128	4,632.00	3	78.31	128.94	50.63	2,110.90
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	74	22,038.61	15	5,763.12	9,044.37	3,281.25	16,789.32
योग	279	35,073.61	43	9691.20	22,200.93	12,509.73	26,408.96

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, 31 मार्च 2019 को 279 अपूर्ण परियोजनाएँ (प्रत्येक ₹ 10 करोड़ से अधिक) थी, जिन पर ₹ 26,409 करोड़ की राशि का व्यय किया हुआ था। 279 परियोजनाओं में से 43 परियोजनाओं³⁰ में ₹ 12,510 करोड़ (129 प्रतिशत) की लागत वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, 88 परियोजनाएँ (₹ 21,181.93 करोड़) विगत 5 से 25 वर्षों से अपूर्ण थीं।

सभी अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 26,408.96 करोड़ का व्यय किया गया था जो कि राज्य के कुल संचयी पूंजीगत परिव्यय (₹ 1,88,108.83 करोड़) का 14 प्रतिशत था।

वर्ष 2018-19 के दौरान 28 परियोजनाओं (जल संसाधन विभाग: 08, सार्वजनिक निर्माण विभाग: 19 एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग: 01) पर कोई व्यय नहीं हुआ था।

निर्धारित समय में परियोजनाओं के पूर्ण नहीं होने के कारण, समाज को सम्भावित लाभ मिलने में विलम्ब हुआ एवं गत वर्षों में परियोजनाओं की लागत में भी वृद्धि हुई।

³⁰ (i) जल संसाधन विभाग की परवन परियोजना की लागत ₹ 2,360.43 करोड़ से 212 प्रतिशत (₹ 4,994.80 करोड़) बढ़कर ₹ 7,355.23 करोड़ हो गई जबकि नर्मदा जालौर परियोजना की लागत ₹ 467.53 करोड़ से 568 प्रतिशत (₹ 2,656.47 करोड़) बढ़कर ₹ 3,124 करोड़ (ii) सार्वजनिक निर्माण विभाग की आरओबी श्रीमहावीरजी एल. सी. संख्या 195 डब्लूसीआर परियोजना की लागत ₹ 18.77 करोड़ से 100 प्रतिशत (₹ 18.79 करोड़) बढ़कर ₹ 37.56 करोड़ तथा (iii) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की आपनी योजना फेज II परियोजना की लागत ₹ 362.22 करोड़ से 168 प्रतिशत (₹ 608.99 करोड़) बढ़कर ₹ 971.21 करोड़ में महत्वपूर्ण लागत वृद्धि हुई।

1.9.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

राज्य सरकार के वार्षिक वित्त लेखे के विवरण संख्या 19 में सरकार के निवेश का विवरण निहित है। विवरण पत्र के अनुसार, 31 मार्च 2019 को, 44 सरकारी कम्पनियों (₹ 47,715.98 करोड़), सात सांविधिक निगमों (₹ 764.34 करोड़), दो ग्रामीण बैंकों (₹ 73.69 करोड़), 10 संयुक्त सांझी कम्पनियों (₹ 546.37 करोड़), 23 संयुक्त पूँजी कम्पनियों (₹ 139.66 करोड़), एक साझेदारी व्यापार संस्था³¹ और सहकारी बैंकों एवं समितियों (₹ 621.35 करोड़) में कुल सरकारी निवेश ₹ 49,861.39 करोड़ था। उक्त निवेश में तीन अकार्यशील सांविधिक निगमों में ₹ 19.37 करोड़ तथा तीन अकार्यशील सरकारी कम्पनियों में ₹ 0.27 करोड़ का निवेश भी शामिल है। वर्ष 2014-19 के दौरान इस निवेश पर औसत प्रतिलाभ 0.1 से 0.3 प्रतिशत रहा, जबकि सरकार ने इनके उधारों पर 6.7 से 7.6 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज चुकाया (तालिका 1.27), जो यह दर्शाता है कि राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिलाभ अत्यधिक कम रहा।

उधार ली गई निधियों का ऐसे निवेशों के लिए लगातार उपयोग, जिससे पर्याप्त वित्तीय प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है, भविष्य में एक अस्थिर वित्तीय स्थिति की ओर ले जायेगा।

तालिका 1.27: निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्ष के अन्त तक निवेश (₹ करोड़ में)	27,909.59	37,417.62	41,733.94	45,780.60	49,861.39
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	63.33	97.41	67.80	66.76	55.80
प्रतिलाभ (प्रतिशत में)	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर ³² (प्रतिशत)	7.5	6.7	7.6	7.3	7.3
ब्याज दर एवं प्रतिलाभ का अन्तर (प्रतिशत)	7.3	6.4	7.4	7.2	7.2

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार का सरकारी कम्पनियों, ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों और समितियों में निवल निवेश ₹ 4,080.79 करोड़ था। इसमें से, ₹ 3,822.30 करोड़ (94 प्रतिशत) का निवेश ₹ 95,506 करोड़ की संचित हानि वाली पाँच बिजली कम्पनियों में किया गया था। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2019 तक पाँच बिजली कम्पनियों में ₹ 45,265.06 करोड़ (कुल निवेश का 91 प्रतिशत) निवेश किया था।

राज्य सरकार के निवेश में 40 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में ₹ 47,711.58 करोड़ का निवेश सम्मिलित है, जिनमें से केवल आठ कम्पनियों ने ₹ 290.77 करोड़ के निवेश के समक्ष कुल ₹ 44.72 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

³¹ केवल ₹ 20,833

³² गणना की पद्धति के लिए शब्दावली पृष्ठ 178 पर देखें।

वर्ष 2018-19 के लिए राज्य सरकार के वार्षिक वित्त लेखे के विवरण पत्र संख्या 19 के अनुसार पाया गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 1900-01 से 1997-98 की अवधि के मध्य दो सांविधिक निगमों, तीन सरकारी कम्पनियों, 15 संयुक्त पूँजी कम्पनियों तथा एक साझेदारी व्यापार संस्था में ₹ 5.99 करोड़ का निवेश किया था, लेकिन कोई लाभांश प्राप्त नहीं किया। इन अधिकतर मामलों में, लेखाकंन की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई जिस कारण से सभी संयुक्त पूँजी कम्पनियों की अद्यतन स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, इन अधिकतर इकाइयों में परिसमापन की स्थिति का भी पता नहीं लगाया जा सका है। इस स्थिति का राज्य सरकार द्वारा अंकमिलान एवं पुष्टि किया जाना आवश्यक है। इसका विवरण **परिशिष्ट 1.8** में दिया गया है।

- **संयुक्त पूँजी कम्पनियों में निवेश**

31 मार्च 2019 तक, राज्य सरकार ने ₹ 49,861.39 करोड़ के कुल निवेश में से ₹ 139.66 करोड़ (कुल निवेश का 0.3 प्रतिशत) का निवेश 23 संयुक्त पूँजी कम्पनियों में किया। राज्य सरकार के संयुक्त पूँजी कम्पनियों में किये गये निवेश में राजस्थान सड़क ढांचागत विकास कम्पनी लिमिटेड, जयपुर के ₹ 137.50 करोड़ (98 प्रतिशत) शामिल है। वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार को संयुक्त पूँजी कम्पनियों से कोई लाभांश प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, नौ संयुक्त पूँजी कम्पनियों परिसमापनाधीन हैं, जिनमें राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 तक ₹ 0.23 करोड़ का निवेश किया गया था।

- **हानि के कारण पूँजी का अपक्षरण**

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार, राज्य के 43 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (10 सहायक कंपनियों सहित) की कुल चुकता पूँजी ₹ 49,290.18 करोड़ थी जिसमें राज्य सरकार का ₹ 48,402.59 करोड़ (98.2 प्रतिशत) का निवेश शामिल था। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संचित हानि ₹ 97,773.89 करोड़ (**परिशिष्ट 1.9**) थी। पूँजीगत निवेश की तुलना में संचित हानियों की उच्च मात्रा दर्शाती है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कुल पूँजी पूर्णतः अपक्षरित हो गई और ₹ 48,483.71 करोड़ की नकारात्मक निवल संपत्ति में परिवर्तित हो गई। इसके अलावा निवेश और संचित हानियों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 43 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 16 में यह क्षरण (₹ 64,464.69 करोड़) हुआ। विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने मुख्य रूप से निवेश के अपक्षरण में योगदान दिया। विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में ₹ 45,700.40 करोड़ के पूँजी निवेश के समक्ष संचित हानि ₹ 96,597.14 करोड़ थी।

तेरहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार को अकार्यशील कम्पनियों को बन्द करने के लिए मार्च 2011 तक एक रोडमैप तैयार करने की सिफारिश की थी। तथापि, यह दृष्टिगत हुआ कि सरकार ने छः अकार्यशील सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों³³ के सम्बन्ध में कोई रोडमैप तैयार नहीं किया।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2019 के अन्त तक चार कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 152.12 करोड़ का निवेश (राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर: ₹ 56.45 करोड़, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नगरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर: ₹ 50.00 करोड़, राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत ढाँचा लिमिटेड: ₹ 33.51 करोड़ तथा राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड, जयपुर: ₹ 12.16 करोड़) ऋण एवं अंशपूँजी के रूप में किया हुआ है। तथापि, इन कंपनियों ने कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों का घोर उल्लंघन कर पिछले एक से दो वर्षों तक के अपने लेखे अंतिमीकृत नहीं किए हैं। इसलिए लेखापरीक्षा, इन कंपनियों के लेखों के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम, 1971 एवं कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रमाणीकरण के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ रहा।

सिफारिश 8:

राज्य स्वामित्व वाले कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वृहद् हानियों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार को उनके कामकाज की समीक्षा करने पर विचार करना चाहिए जिससे इनकी हानियों को कम किया जा सके तथा इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जा सकें।

1.9.4 राज्य सरकार द्वारा कर्जे एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इनमें से अनेक संस्थाओं/संगठनों को कर्जे तथा अग्रिम भी प्रदान कर रही है। तालिका 1.28, 31 मार्च 2019 को बकाया कर्जे तथा अग्रिम और विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज प्रप्तियों के साथ-साथ ब्याज अदायगियों को दर्शाती है।

तालिका 1.28: सरकार द्वारा दिए गये कर्जों पर प्राप्त औसत ब्याज

	(₹ करोड़ में)		
कर्जों की मात्रा/ब्याज प्राप्ति/उधारों की लागत	2016-17	2017-18	2018-19
प्रारम्भिक शेष	39,856	51,108	37,308
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	12,965	1,334	1,113
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	1,713	15,134	15,158
अन्तिम शेष	51,108	37,308	23,263

³³ (i) राजस्थान भूमि विकास निगम, जयपुर: (₹ 19.36 करोड़), (ii) राजस्थान राज्य मण्डी विकास निगम, जयपुर: (₹ 0.65 लाख), (iii) राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज निगम, जयपुर: (₹ 0.08 लाख), (iv) राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 16.75 लाख), (v) राजस्थान राज्य विद्युत निगम, जयपुर (₹ 5.00 लाख) एवं (vi) राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम, जयपुर (₹ 5.00 लाख)।

कर्जों की मात्रा/ब्याज प्राप्तियों/उधारों की लागत	2016-17	2017-18	2018-19
निवल वृद्धि	11,252	(-) 13,800	(-) 14,045
ब्याज प्राप्तियों	172	3,020	4,390
बकाया कर्ज तथा अग्रिम के औसत से प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियों	0.4	6.8	14.5
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं से ब्याज अदायगियों का प्रतिशत	7.6	7.3	7.3
ब्याज प्राप्तियों तथा ब्याज अदायगियों में अन्तर (प्रतिशत)	(-) 7.2	(-) 0.5	(+) 7.2

स्रोत: वित्त लेखे

कुल ₹ 23,263 करोड़ के कर्ज एवं अग्रिम में, विद्युत परियोजनाओं को दिये गये ₹ 18,677 करोड़ (80 प्रतिशत) के कर्ज एवं अग्रिम शामिल हैं। वर्ष के दौरान संवितरित कर्जों तथा अग्रिमों की राशि वर्ष 2017-18 के ₹ 1,334 करोड़ से कम होकर वर्ष 2018-19 में ₹ 1,113 करोड़ (आर्थिक सेवाओं: ₹ 877 करोड़ तथा सामाजिक सेवाओं: ₹ 236 करोड़) रह गयी।

वर्तमान वर्ष के दौरान ऋण का बड़ा भाग राजस्थान राज्य सहकारी विपणन महासंघ (राजफेड): ₹ 500 करोड़, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन: ₹ 185 करोड़, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड: ₹ 177 करोड़ एवं राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि: ₹ 100 करोड़, को दिया गया था। ऋणों की अदायगी के सम्बन्ध में, यह देखा गया है कि गत 16 या अधिक वर्षों से ₹ 67 करोड़ से अधिक के ऋण (परिशिष्ट 1.7) बकाया थे।

1.9.5 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) का कार्यान्वयन

विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय बदलाव हेतु भारत सरकार के उर्जा मन्त्रालय ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) (नवम्बर 2015) का शुभारम्भ किया।

वर्ष 2009-10 से 2018-19 की अवधि के दौरान, डिस्कॉम की प्रसारण एवं वितरण हानियाँ 24 प्रतिशत से 31 प्रतिशत के मध्य रही, जिसमें प्रसारण एवं वितरण हानियों का मुख्य भाग वितरण हानियों के कारण था। मार्च 2019 तक, प्रसारण एवं वितरण हानि 26 प्रतिशत रही, जिसमें 81 प्रतिशत हिस्सा वितरण हानियों का था। इसके अतिरिक्त, पिछले दशक में डिस्कॉमों की संचयी हानियाँ बढ़कर ₹ 89,853.85 करोड़ हो गईं। वर्ष 2018-19 में शुद्ध लाभ ₹ 2,606.67 करोड़ का हुआ (परिशिष्ट 1.10)।

इस योजना के अन्तर्गत राज्य डिस्कॉम की परिचालन एवं वित्तीय दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से, ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं विद्युत वितरण कम्पनियों अर्थात् अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया (27 जनवरी 2016)। यह योजना

राजस्थान सरकार को डिस्कॉमों के 30 सितम्बर 2015 को बकाया ऋण के 75 प्रतिशत को दो वर्षों में अधिग्रहण करने की सुविधा प्रदान करती हैं।

तीनों डिस्कॉमों का बकाया ऋण 30 सितम्बर 2015 को ₹ 83,230 करोड़ था। राजस्थान सरकार ने उदय के अर्न्तगत ₹ 8,700 करोड़ अंशपूँजी निवेश के रूप में, ₹ 44,722 करोड़ ऋण तथा ₹ 9,000 करोड़ अर्थ-सहाय्य के रूप में डिस्कॉम के ₹ 62,422 करोड़³⁴ (₹ 83,230 करोड़ का 75 प्रतिशत) के ऋण को अधिग्रहित किया। राज्य सरकार द्वारा उर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार को सूचित किया गया कि उदय योजना में दी गई छूट के अनुसार डिस्कॉम को दिया गया ऋण (₹ 44,722 करोड़) आगामी तीन वर्षों अर्थात् 2019-20 तक अनुदान तथा अंशपूँजी में परिवर्तित किया जायेगा। तदनुसार, वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान, राजस्थान सरकार ने ₹ 30,000 करोड़ के ऋण को ₹ 6,000 करोड़ अंशपूँजी तथा ₹ 24,000 करोड़ को अर्थ-सहाय्य में परिवर्तित कर दिया, इस प्रकार, बकाया ऋण की राशि ₹ 14,721.96 करोड़ शेष रही। विवरण तालिका 1.29 में दिया गया है।

तालिका 1.29: उदय के अर्न्तगत अंशपूँजी/ऋण/ अर्थ-सहाय्य की स्थिति

(₹ करोड़ में)				
वर्ष	अंशपूँजी निवेश	ऋण	अर्थ-सहाय्य	योग
2015-16	5,700.00	34,349.77	-	40,049.77
2016-17	3,000.00	10,372.19	9,000.00	22,372.19
Total	8,700.00	44,721.96	9,000.00	62,421.96
2017-18	3,000.00	(-) 15,000.00	12,000.00	-
2018-19	3,000.00	(-) 15,000.00	12,000.00	-
31-03-2019 को स्थिति	14,700.00 (23.55%)	14,721.96 (23.58%)	33,000.00 (52.87%)	62,421.96

उपरोक्त स्थिति दर्शाती है कि मार्च 2019 तक उदय के अर्न्तगत डिस्कॉम के ऋण को अधिग्रहण करते हुए राजस्थान सरकार ने ₹ 14,700 करोड़ का निवेश अंशपूँजी के रूप में, ₹ 14,722 करोड़ ऋण के रूप में तथा ₹ 33,000 करोड़ का अर्थ-सहाय्य इन तीन डिस्कॉमों को प्रदान किया। उदय के अर्न्तगत डिस्कॉम के ऋण के अधिग्रहण हेतु राजस्थान सरकार ने वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान ₹ 62,422 करोड़ (2015-16 के दौरान ₹ 40,050 करोड़ एवं 2016-17 के दौरान ₹ 22,372 करोड़) की निधियाँ जुटाईं। मार्च 2019 के अन्त तक उदय के अर्न्तगत गैर वैधानिक तरलता अनुपात बॉण्ड तथा जब्ती बॉण्ड के रूप में राज्य की बकाया उधारी ₹ 51,636 करोड़ थी।

1.9.6 निजी जन सहभागिता परियोजनाओं के अर्न्तगत राज्य की संसाधन उपलब्धता

निजी जन सहभागिता (पीपीपी) सरकार या वैधानिक इकाई और निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य एक व्यवस्था है जो आधारभूत विकास के लिए जनता की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिये उन्हें साथ काम करने योग्य बनाने के लिए ढाँचा

³⁴ वर्ष 2015-16 के दौरान: ₹ 40,050 करोड़ एवं 2016-17: ₹ 22,372 करोड़।

प्रदान करती है। पीपीपी प्रकोष्ठ की स्थापना (जुलाई 2007) राज्य सरकार द्वारा आयोजना विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में की गई थी। यह निजी जन सहभागिता के लिए राज्य सरकार के सभी प्रयासों के समन्वय एवं अनुरक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में एवं राज्य में पीपीपी से संबंधित सभी सूचनाओं के भण्डार के रूप में कार्य करता है।

पीपीपी प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (जून 2019) के अनुसार, 31 मार्च 2019 तक ₹ 14,706.46 करोड़ की 175 परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं एवं ₹ 4,906.00 करोड़ की 45 परियोजनाएँ प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त, सड़क, शहरी आधारभूत संरचना, विद्युत, जल, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित ₹ 24,825.05 करोड़ की 95 परियोजनाएँ भविष्य के लिये विचाराधीन हैं। पूर्ण हो चुकी, प्रगतिशील एवं भविष्य में लिये जाने वाली पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण तालिका 1.30 में दिया गया है:

तालिका 1.30: पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	पूर्ण हो चुकी		प्रगतिशील		भविष्य के लिए नियोजित	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	सड़क	63	6,300.10	12	2,878.64	67	9,029.77
2.	शहरी आधारभूत संरचना	22	402.94	13	646.37	15	12,843.55
3.	विद्युत	11	7,097.90	8	1,310.92	1	20.00
4.	जल	1	46.00	-	-	2	2,165.00
5.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	1	54.01	-	-	-	-
6.	सामाजिक	62	645.14	11	46.41	7	298.43
7.	अन्य	15	160.37	1	23.66	3	468.30
	योग	175	14,706.46	45	4,906.00	95	24,825.05

वर्ष 2018-19 के बजट दस्तावेजों की समीक्षा में प्रकट हुआ कि राज्य सरकार ने पीपीपी परियोजनाओं में गत वर्ष में किये गये निवेश से सम्बंधित आंकड़ों एवं सूचनाओं का विवरण उपलब्ध नहीं कराया। इसके अलावा, राज्य सरकार की इन परियोजनाओं से उत्पन्न राजस्व का बजट दस्तावेज में निर्धारित (निजी क्षेत्र द्वारा भी) करना संभव नहीं था। वर्तमान वर्ष के दस्तावेजों में भी राज्य सरकार से जुड़ी पीपीपी परियोजनाओं के सम्बन्ध में निजी और सरकारी क्षेत्रों द्वारा किये जाने वाले अनुमानित निवेश का पृथक एवं स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है।

1.10 परिसम्पत्तियाँ और देयताएँ

विद्यमान सरकारी लेखांकन प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों यथा भूमि और भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को आवश्यक रूप से समाहित करते हैं। 31 मार्च 2018 की

सहप्रत्यक्षी स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2019 को ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों के सार को **परिशिष्ट 1.5** में प्रस्तुत किया गया है। इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्य रूप से आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं, परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष समाविष्ट हैं।

एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के अनुसार, कुल दायित्व से अधिप्रायः राज्य की समेकित निधि और सामान्य प्रावधायी निधि को सम्मिलित करते हुए राज्य के लोक लेखा के अन्तर्गत सुनिश्चित देयताओं से है।

1.10.1 परिसम्पत्तियों और देयताओं का संयोजन एवं वृद्धि

परिसम्पत्तियों और देयताओं के घटकों की वृद्धि दर का सार तालिका 1.31 में दिया गया है।

तालिका 1.31: परिसम्पत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

		देयताएँ			परिसम्पत्तियाँ				
		2017-18	2018-19	वृद्धि प्रतिशत			2017-18	2018-19	वृद्धि प्रतिशत
समेकित निधि		2,12,306.86	2,33,238.88	9.9	समेकित निधि		2,05,798.57	2,11,371.32	2.7
अ	आन्तरिक ऋण	2,00,243.86	2,19,311.48	9.5	अ	सकल पूँजीगत परिव्यय	1,68,490.76	1,88,108.83	11.6
ब	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	12,063.00	13,927.40	15.5	ब	ऋण एवं अग्रिम	37,307.81	23,262.49	(-) 37.6
आकस्मिकता निधि		500.00	500.00	-					
लोक लेखा		71,841.90	81,846.96	13.9	लोक लेखा		164.51	211.91	28.8
अ	अल्प बचते, भविष्य निधियाँ, आदि	42,095.22	47,478.08	12.8	अ	अग्रिम	3.21	3.21	-
ब	जमाये	24,762.22	28,817.51	16.4	ब	प्रेषण	11.47	2.05	(-) 82.1
स	आरक्षित निधियाँ	4,984.46	5,551.37	11.4	स	उच्चत तथा विविध	149.83	206.65	37.9
द	प्रेषण	-	-	-		नकद शेष (चिन्हित निधियों में निवेश सहित)	9,376.99	5,793.75	(-) 38.2
						योग	2,15,340.07	2,17,376.98	0.9
						राजस्व लेखे में घाटा	69,308.69	98,208.86	41.7
योग		2,84,648.76	3,15,585.84	10.9	योग		2,84,648.76	3,15,585.84	10.9

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2018-19 के दौरान, परिसम्पत्तियाँ 0.9 प्रतिशत बढ़ी, जबकि देयताएँ गत वर्ष की तुलना में 10.9 प्रतिशत बढ़ी।

1.10.2 राजकोषीय देयताएँ

जीएसडीपी के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.32 में दर्शायी गयी है:


तालिका 1.32: राजकोषीय देयताएँ-मूलभूत मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजकोषीय देयताएँ	1,47,609	2,09,386	2,55,002	2,81,182	3,11,374
वृद्धि दर	13.6	41.9	21.8	10.3	10.7
जनसंख्या (करोड़ में)	7.20	7.29	7.39	7.49	7.58
प्रति व्यक्ति ऋण (₹ में)	20,501	28,722	34,504	37,541	41,078
राजकोषीय देयताएँ प्रतिशतता के रूप में					
जीएसडीपी से	24.0	30.7	33.6	33.6	33.5
राजस्व प्राप्तियों से	161.6	208.8	233.9	220.9	225.8
स्व-संसाधनों से	284.4	390.3	455.5	423.9	409.8

स्रोत: वित्त लेखे

गत वर्ष के समक्ष चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयताओं के संघटकों को संचित्र 1.9 तथा संचित्र 1.10 म. प्रस्तुत किया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2018-19 के दौरान, आन्तरिक ऋण में 10 प्रतिशत (₹ 19,068 करोड़), लोक लेखा दायित्वों में 13 प्रतिशत (₹ 9,260 करोड़) तथा केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिमों में 15 प्रतिशत (₹ 1,864 करोड़) की वृद्धि के कारण, राजकोषीय देयताएँ गत वर्ष की तुलना म. 11 प्रतिशत (₹ 30,192 करोड़) बढ़ गई।

31 मार्च 2019 को विद्यमान राजकोषीय देयताय. ₹ 3,11,374 करोड़ की रही, जिसमें राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण के अन्तर्गत जारी गैर वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बॉण्ड एवं जब्ती बॉण्ड के रूप में उदय के अन्तर्गत बकाया उधार राशि के ₹ 51,636 करोड़ सम्मिलित हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान, यद्यपि राजकोषीय देयताओं (कुल बकाया ऋण) का जीएसडीपी से अनुपात (33.51 प्रतिशत) एफआरबीएम लक्ष्य (35.0 प्रतिशत) के भीतर था, तथापि, यह चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित सीमा (24.4 प्रतिशत) से काफी अधिक था। इसके अतिरिक्त, यह एमटीएफपीएस के लक्ष्य (32.76 प्रतिशत) जिसका राज्य सरकार ने स्वयं अनुमान लगाया, से अधिक था। इसके अलावा, राज्य सरकार की वार्षिक वृद्धिजन्य उधार³⁵ (₹ 30,192 करोड़), चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा वार्षिक उधारों के लिए निर्धारित सीमा (₹ 28,203 करोड़) से अधिक थी।

1.10.3 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.33, वर्ष के दौरान रोकड़ शेष तथा राज्य सरकार द्वारा रोकड़ शेषों में से किये गये निवेशों को दर्शाती है।

तालिका 1.33: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

	प्रारम्भिक शेष 1 अप्रैल 2018 को	अन्तिम शेष 31 मार्च 2019 को	वृद्धि/कमी (-)
(₹ करोड़ में)			
(अ) सामान्य रोकड़ शेष			
कोषालयों में रोकड़	0.05	0.05	-
रिजर्व बैंक में जमा	11.09	(-) 64.45	(-) 75.54
स्थानीय-मार्गस्थ प्रेषण	(-) 6.51	(-) 12.32	(-) 5.81
योग	4.63	(-) 76.72	(-) 81.35
रोकड़ शेष निवेश खाते में रखे गये निवेश	6,401.72	2,154.46	(-) 4,247.26
योग (अ)	6,406.35	2,077.74	(-) 4,328.61
(ब) अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश			
विभागीय अधिकारियों अर्थात् सार्वजनिक निर्माण विभागीय अधिकारियों, वन विभागीय अधिकारियों, जिलाधिकारियों के पास रोकड़	1.03	0.87	(-) 0.16
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिये स्थायी पेशगियां	2.90	2.86	(-) 0.04
चिन्हित निधियों में निवेश	2,966.71	3,712.28	745.57
योग (ब)	2,970.64	3,716.01	745.37
कुल योग (अ)+(ब)	9,376.99	5,793.75	(-) 3,583.24

स्रोत: वित्त लेखे

वर्तमान वर्ष के अन्त में राज्य सरकार का रोकड़ शेष ₹ 5,794 करोड़ था। यह गत वर्ष की तुलना में ₹ 3,583 करोड़ (38.2 प्रतिशत) कम हुआ है।

³⁵ इसम. खुले बाजार से उधार, वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से अनुबन्धित ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से ऋण, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित केन्द्रीय सरकार से ऋण, राज्य आयोजनागत योजनाओं एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए कोई ऋण, अल्प बचत के अन्तर्गत लोक लेखे से अन्तरण से उत्पन्न अन्य देयताएँ, प्रावधानी निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमाएँ इत्यादि शामिल है।

• रोकड़ शेषों का निवेश

तेरहवें वित्त आयोग के साथ ही साथ चौदहवें वित्त आयोग ने सुझाया कि वृहद रोकड़ शेषों वाले राज्यों को नये उधार लेने से पूर्व अपने विद्यमान नकद शेषों का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिये था। एक स्तर से अधिक रोकड़ संचयन अकुशल प्रबंधन का द्योतक है, क्योंकि इससे ऋण एवं परिहार्य ब्याज दायित्व का भार बढ़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस तथ्य को दोहराया है एवं राज्यों को सलाह दी है कि अपने रोकड़ शेषों का अधिक कुशलता से प्रबंधन करें।

नकद शेषों³⁶, लिये गये बाजार ऋणों एवं बजटीय व्यय की वर्षवार स्थिति तालिका 1.34 म. दी गई है।

तालिका 1.34: नकद शेषों, बाजार ऋणों और बजटीय व्ययों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1 अप्रैल को नकद शेष	10,446.44	8,949.28	8,397.27	8,112.46	9,376.99
31 मार्च को नकद शेष	8,949.28	8,397.27	8,112.46	9,376.99	5,793.75
भारत सरकार के कोषालय बिलों/ प्रत्याभूतियों में निवेशित नकद शेष	7,628.42	5,915.95	5,585.10	6,401.72	2,154.46
लिये गये बाजार ऋण	12,300	15,800	16,054	24,914	33,178
कुल बजटीय व्यय	1,26,470	1,32,883	1,66,541	1,70,073	1,95,439
मासिक औसत बजटीय व्यय	10,539	11,074	13,878	14,173	16,287

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज

राज्य सरकार के अधिशेष रोकड़ शेष पाँच प्रतिशत वार्षिक की औसत ब्याज दर से 14 दिवसीय कोषालय बिलों में स्वतः ही निवेशित हो जाते हैं एवं आंशिक रूप से 91, 181 एवं 364 दिवसीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के नीलामी वाले कोषालय बिलों में निवेशित हो जाते हैं। वर्ष 2018-19 के अंत तक, ₹ 2,154.46 करोड़ की राशि भारत सरकार के कोषालय बिलों/प्रतिभूतियों में निवेशित की गयी, जिन पर ₹ 281.20 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया। इसके अलावा, ₹ 3,712.28 करोड़ का निवेश चिन्हित निधियों में भी किया गया।

राज्य सरकार ने पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान अर्थोपाय अग्रिम लिए बिना या ओवरड्राफ्ट स्थिति के बिना सकारात्मक नकदी संतुलन बनाए रखा।

1.10.4 आरक्षित निधियाँ

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 4.5 के अनुसार, आरक्षित और आरक्षित निधियाँ राज्य सरकार के लेखों (लोक लेखे) के अन्तर्गत विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती हैं। ये निधियाँ राज्य की समेकित निधि या बाह्य

³⁶ इसमें कोषालयों में रोकड़, रिजर्व बैंक में जमा, स्थानीय-मार्गस्थ प्रेषण, विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़, स्थायी अग्रिम, नगद शेषों से निवेश तथा चिन्हित निधियों से निवेश सम्मिलित है।

एजेन्सियों से प्राप्त अंशदान अथवा अनुदान द्वारा बनाई जाती है। इन निधियों को आगे दो भागों में विभक्त किया गया है (i) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ और (ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ। राज्य की समेकित निधि के संबंधित व्यय शीर्ष को नामे करने के बाद राशि अन्तरित कर ये निधियाँ बनाई जाती हैं। इसके पश्चात, वर्ष के दौरान किये गये कुल व्यय का संबंधित आरक्षित निधि से पुनर्भरण किया जाता है।

31 मार्च 2019 को, ब्याज वाली ₹ 738.24 करोड़ की तीन निधियों सहित लोक लेखे में राशि ₹ 5,551.37 करोड़³⁷ की 26 आरक्षित निधियाँ थी।

• **संचालित आरक्षित निधियाँ**

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य की 22 संचालित आरक्षित निधियों में ₹ 4,150.19 करोड़ जमा किये गये थे जिसमें मुख्यतः राज्य आपदा मोचन निधि (₹ 2,103.68 करोड़³⁸), गारन्टी मोचन निधि (₹ 713.48 करोड़), राज्य सड़क तथा सेतु निधि (₹ 260.34 करोड़), अन्य विकास एवं कल्याण निधि (₹ 809.35 करोड़) तथा पशुपालन प्रयोजनों के लिए विकास निधि (₹ 261.00 करोड़) शामिल थी।

• **असंचालित आरक्षित निधियाँ**

वर्ष 2018-19 के वित्त लेखे के अनुसार, चार आरक्षित निधियाँ (₹ 4.24 करोड़) पाँच वर्षों से अधिक समय से असंचालित थी। यद्यपि, राज्य बजट नियमावली में असंचालित आरक्षित निधि को बन्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। इनमें से एक निधि³⁹ (₹ 0.20 करोड़) ब्याज वाली तथा शेष तीन निधियाँ⁴⁰ (₹ 4.04 करोड़) बिना ब्याज वाली थी।

राज्य सरकार को 31 मार्च 2019 को ब्याज वाली ₹ 67.48 करोड़ की दो निधियों (एक संचालित: ₹ 67.28 करोड़ तथा एक असंचालित: ₹ 0.20 करोड़) पर ₹ 5.06 करोड़ के ब्याज भुगतान (परम्परागत रूप से अनुमानित 7.5 प्रतिशत, मार्गोपाय

³⁷ इसमें (अ) ब्याज वाली (i) राज्य आपदा मोचन निधि: ₹ 670.76 करोड़; (ii) द्वारा आरक्षित निधि के अन्तर्गत जल निर्माण कार्य: ₹ 67.28 करोड़ तथा (ब) बिना ब्याज वाली (i) गारन्टी मोचन निधि: ₹ 4,080.16 करोड़; (ii) संसाधन विकास निधि: ₹ 180.88 करोड़; (iii) राजस्थान परिवहन आधारभूत अवसंरचना विकास निधि: ₹ 150.24 करोड़; (iv) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि: ₹ 142.55 करोड़; (v) खनन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार एवं स्वास्थ्य निधि: ₹ 117.35 करोड़ तथा (vi) जल संरक्षण उपकर निधि: ₹ 53.64 करोड़ शामिल थे।

³⁸ इसमें एनडीआरएफ के ₹ 832.26 करोड़ (वर्ष 2017-18 के ₹ 306.12 करोड़ सहित) शामिल थे।

³⁹ झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट की विभागीय प्रबन्धन योजना: ₹ 20.45 लाख।

⁴⁰ (i) कृषक सुधार निधि: ₹ 0.74 लाख, (ii) विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से सघन प्रजनन तथा मुर्गी उत्पादन एवं विपणन केन्द्रों के लिए निधि: ₹ 0.95 लाख एवं (iii) राज्य सड़क सुधार विकास कोष: ₹ 402.08 लाख।

अग्रिम की औसत ब्याज दर) की आवश्यकता थी। यद्यपि, यह देखा गया है कि राशि को जमा नहीं किया गया था।

इन संचालित आरक्षित निधियों में से कुछ का विस्तृत विश्लेषण निम्नानुसार है:

1.10.4.1 राज्य आपदा मोचन निधि

विद्यमान आपदा सहायता निधि को प्रतिस्थापित करते हुए दिनांक 1 अप्रैल 2010 को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) संस्थापित की गयी। चौदहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि निधि में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 प्रतिशत के अनुपात में वार्षिक अंशदान दिया जाना था। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 1,277 करोड़ (₹ 957.75 करोड़ केन्द्रीय अंशदान तथा ₹ 319.25 करोड़ राज्यांश) राज्य आपदा मोचन निधि को हस्तान्तरित करना था। तथापि, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को पूरी राशि हस्तान्तरित कर दी गई, इसमें से राज्य आपदा मोचन निधि को केवल ₹ 1,181.22 करोड़ (केन्द्रीय अंशदान: ₹ 861.97 करोड़ तथा राज्यांश: ₹ 319.25 करोड़) की राशि हस्तान्तरित हुई, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय अंशदान ₹ 95.78 करोड़ का कम हस्तान्तरण हुआ।

राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान, गत वर्ष की बकाया राशि ₹ 306.12 करोड़ सहित भारत सरकार से प्राप्त ₹ 526.14 करोड़ की अतिरिक्त सहायता राशि भी राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) को हस्तान्तरित की। आपदा राहत कार्यों के लिये किये गये व्यय ₹ 1,516.19 करोड़ के बाद 31 मार्च 2019 को एसडीआरएफ में निवल शेष (राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि सहित) ₹ 670.76 करोड़ था।

राज्य आपदा मोचन निधि के प्रशासन के लिए दिशा निर्देशों (जुलाई 2015) के अनुसार, एसडीआरएफ के निवेश पर अर्जित आय के साथ निधि की वृद्धि के लिए केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों, नीलामी वाले कोषालय बिलों तथा ब्याज अर्जित जमाओं एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सावधिक जमाओं में निवेश किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार ने एसडीआरएफ के केवल एक भाग को ट्रेजरी बिलों में निवेशित किया तथा शेष राशि को अपने उपयोग के लिए रखा।

वर्ष 2018-19 के दौरान, ट्रेजरी बिलों में निधि की अप्रयुक्त राशि का निवेश करके ब्याज के रूप में ₹ 10.36 करोड़ अर्जित किए। राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए गैर-निवेशित राशि पर ₹ 31.75 करोड़ एवं वर्ष 2018-19 के लिए गैर-निवेशित राशि पर छमाही ब्याज के रूप में ₹ 16.59 करोड़ भुगतान किया। तथापि, राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान, अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 के लिए गैर-निवेशित राशि पर ब्याज जमा नहीं किया।

1.10.4.2 राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि

राजस्थान सरकार ने राज्य सड़कों के विकास एवं राज्य सड़क विकास परियोजनाओं के लिए वर्ष 2004 में जैसा कि अधिनियम में निर्धारित है राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि का गठन किया था। अधिनियम में मोटर स्पिरिट (आमतौर पर पेट्रोल एवं उच्च गति डीजल तेल के रूप में जाना जाता है) के विक्रय पर उपकर लगाने तथा संग्रह करने का प्रावधान है। दिनांक 15 जनवरी 2016 से उपकर की प्रभावी दर ₹ 1.75 प्रति लीटर है। इस निधि का गठन एक गैर ब्याज वाले आरक्षित निधि के रूप में लोक लेखे में किया गया तथा इसे राज्य सरकार के लेखों में शीर्ष 8225-101- राज्य सड़क एवं सेतु निधि के अर्न्तगत वर्गीकृत किया गया।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकर के संग्रहण एवं राज्य सड़क एवं सेतु निधि में हस्तान्तरण की स्थिति तालिका 1.35 में दी गई है।

तालिका 1.35: उपकर के संग्रहण एवं निधि में हस्तान्तरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	अहस्तान्तरित राशि का प्रारम्भिक शेष	उपकर संग्रहण	योग (3+4)	निधि को हस्तान्तरित	अहस्तान्तरित राशि का अन्तिम शेष (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	2014-15	208.31	407.01	615.32	280.00	335.32
2	2015-16	335.32	951.75	1,287.07	572.74	714.33
3	2016-17	714.33	1,311.78	2,026.11	0	2,026.11
4	2017-18	2,026.11	1,394.37	3,420.48	425.00	2,995.48
5	2018-19	2,995.48	1,409.62	4,405.10	260.34	4,144.76
	योग		5,474.53		1,538.08	

यह देखा गया कि संग्रहित उपकर की राशि को इनमें से किसी भी वर्ष में पूरी तरह से निधि में हस्तान्तरित नहीं किया गया। वर्ष 2014-19 के दौरान, कुल संग्रहित उपकर ₹ 5,474.53 करोड़ के समक्ष केवल ₹ 1,538.08 करोड़ (28.1 प्रतिशत) की राशि निधि में हस्तान्तरित की गई थी।

तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 1,409.62 करोड़ में से राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि में मार्च 2019 तक ₹ 1,149.28 करोड़ की राशि राज्य की संचित निधि में से हस्तान्तरित करने के लिए लम्बित रही।

1.10.4.3 राजस्थान गौ संरक्षण तथा संवर्द्धन निधि

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 3(ब) के अनुसार राज्य सरकार ने गाय एवं उसकी संतति के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए 08 मार्च 2016 से अधिभार का प्रस्ताव किया था। इसके अतिरिक्त, गोपालन विभाग, राजस्थान सरकार ने नवम्बर 2016 में “राजस्थान गौ संरक्षण तथा संवर्द्धन निधि” का गठन किया तथा इस निधि के प्रशासन हेतु “राजस्थान गौ संरक्षण तथा संवर्द्धन निधि”

नियम, 2016 जारी किये गये। इस निधि का मुख्य उद्देश्य गायों की सुरक्षा एवं विकास तथा गौशालाओं तथा कांजी हाउस के लिये स्थायी प्रकृति की परिसम्पत्तियों का निर्माण करना था।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने राजस्थान मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार मूल्य वर्धित कर पर अधिभार लागू किया था, जिसका उपयोग गाय एवं उसकी संतति के संरक्षण एवं संवर्द्धन के उद्देश्य से किया जाएगा। इन नियमों के अनुसार, अधिनियम के तहत संग्रहित अधिभार को निधि में हस्तान्तरित किया जाएगा। इस निधि में से, गोपालन विभाग द्वारा प्रशासनिक व्यय के लिए एक प्रतिशत राशि खर्च की जा सकती है।

राजस्थान गौ संरक्षण तथा संवर्द्धन निधि के लिए संग्रहित अधिभार तथा निधि में हस्तान्तरण की वर्षवार स्थिति तालिका 1.36 में दी गई है।

तालिका 1.36: निधि में अधिभार के संग्रहण/हस्तान्तरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	अहस्तान्तरित राशि का प्रारम्भिक शेष	अधिभार की प्राप्ति	योग (3+4)	निधि को हस्तान्तरित राशि	अहस्तान्तरित राशि का अन्तिम शेष (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	2015-16	-	13.16	13.16	-	13.16
2	2016-17	13.16	138.45	151.61	103.84	47.77
3	2017-18	47.77	257.98	305.75	173.68	132.07
4	2018-19*	132.07	536.25	668.32	261.00	407.32

* वैंट पर अधिभार की प्राप्ति सहित।

तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त ₹ 536.25 करोड़ में से ₹ 275.25 करोड़ की राशि मार्च 2019 तक राज्य की संचित निधि में से राजस्थान गौ संरक्षण तथा संवर्द्धन निधि में हस्तान्तरित करने के लिए लम्बित रही।

विभाग ने बताया कि निधि में हस्तान्तरित राशि बजट प्रावधानों के अनुसार थी तथा विभाग की आवश्यकतानुसार बजट प्रावधान किए जाते हैं। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि नियमानुसार गत वर्ष की शेष राशि एवं वर्तमान वर्ष की अनुमानित प्राप्ति को प्रत्येक वर्ष हस्तान्तरित किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान ₹ 240.57 करोड़ की राशि राजस्थान गौ संरक्षण तथा संवर्द्धन निधि में से संचित करते हुए मार्च 2019 तक ₹ 32.18 करोड़ की राशि अव्ययित शेष रही।

1.10.4.4 राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि

उपरोक्त आरक्षित निधियों के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि का गठन किया था, जिसे निजी निक्षेप खाते (पीडी खाते) के रूप में संचालित किया जा रहा है।

भारत सरकार ने भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 जैसे कानून, निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को तैयार करने एवं कार्यान्वित करने के लिए बनाए है। मंडल के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, उपकर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, सभी संस्थापना चाहे केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग/संगठन अथवा अर्द्ध सरकारी संगठन या निजी संस्थाएँ भवन या अन्य निर्माण कार्य कर रहे हो, उपकर (निर्धारित दरों पर) पर लगाया गया था।

अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए, राजस्थान सरकार ने राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम 2009 बनाए तथा “राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण निधि” (निधि) का गठन किया। नियमों के अनुसार, उपकर की राशि संग्रहण के 30 दिवस के भीतर निधि को हस्तान्तरित होनी चाहिए।

यद्यपि, यह देखा गया कि, मार्च 2019 तक राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण निधि में ₹ 382.34 करोड़ की राशि राज्य की संचित निधि में से हस्तान्तरण के लिए लम्बित थी जैसा कि तालिका 1.37 में दिया गया है।

तालिका 1.37: उपकर के संग्रहण एवं निधि में हस्तान्तरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	संग्रहित उपकर का प्रारम्भिक शेष	उपकर संग्रहण	योग (3+4)	मंडल को हस्तान्तरित राशि	अन्तिम शेष (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	2014-15	251.95	278.75	530.70	251.95	278.75
2	2015-16	278.75	322.45	601.20	278.75	322.45
3	2016-17	322.45	342.69	665.14	322.70	342.44
4	2017-18	342.44	338.60	681.04	342.69	338.35
5	2018-19	338.35	382.59	720.94	338.60	382.34

तालिका से यह स्पष्ट है कि, वर्ष 2018-19 के दौरान संग्रहित राशि ₹ 382.59 करोड़ में से, ₹ 43.99 करोड़ की राशि निधि में कम हस्तान्तरित की गई थी।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण निधि में मार्च 2019 तक ₹ 100.03 करोड़ की अव्ययित राशि के भारी शेष को छोड़ते हुए, राशि ₹ 302.90 करोड़ का व्यय किया गया।

विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2019) कि निधि में शेष राशि (₹ 100.03 करोड़) कोषालय में भुगतान के लिए लंबित बिलों के कारण थी।

इस प्रकार, आरक्षित निधियों की समीक्षा में, यह देखा गया कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान चार आरक्षित निधियों/जमा निधियों में ₹ 1,564.30 करोड़ की राशि का कम हस्तान्तरण कर नियमों की अवहेलना की

तथा, इस प्रकार, अपनी वर्तमान वर्ष की देयता को आगामी वर्षों के लिए स्थगित कर दिया है, जो राजकाशीय घाटे को समतुल्य राशि द्वारा कम दर्शाए जाने का प्रभाव रखता है।

सिफारिश 9:

राज्य सरकार को इन निधियों के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के साथ साथ राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का सही चित्रण सुनिश्चित करने के लिए सभी बकाया प्राप्तियों को संवैधानिक आरक्षित निधियों/जमा निधियों में हस्तान्तरण करने पर विचार करना चाहिए।

1.10.5 आकस्मिक देयताएँ

(i) प्रत्याभूतियों की स्थिति

प्रत्याभूतियाँ राज्य की समेकित निधि के ऊपर वे आकस्मिक देयताएँ हैं जो उधार लेने वाले, जिनके लिये प्रत्याभूति दी गई थी, द्वारा चूक के प्रकरण म. होती है। एफआरबीएम अधिनियम, 2005 (अप्रैल 2016 में संशोधित) के अनुसार, 31 मार्च 2017 को बकाया सरकारी प्रत्याभूतियाँ वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य की समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा उसके पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूतियाँ, उस वित्तीय वर्ष में राज्य की समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

वित्त लेखे के विवरण 9 के अनुसार, गत तीन वर्षों के लिए राज्य द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि तथा बकाया प्रत्याभूतियाँ तालिका 1.38 म. दी गई है।

तालिका 1.38: राजस्थान सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

	(₹ करोड़ म.)			
प्रत्याभूतियाँ	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि	1,61,236	1,18,161	1,12,057	1,31,026
प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	53,620	51,119	61,761	70,430
कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि (प्रतिशत में)	160.8	108.4	88.0	95.0
संचित निधि में कुल अनुमानित प्राप्तियाँ	1,34,430	1,67,405	1,77,390	2,08,306
अनुमानित प्राप्तियों के सम्बन्ध में बकाया प्रत्याभूतियाँ (प्रतिशत में)	39.9	30.5	34.8	33.8

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज

बकाया प्रत्याभूतियाँ, वर्ष 2017-18 में ₹ 61,761 करोड़ से 14 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2018-19 म. ₹ 70,430 करोड़ हो गयी तथा यह सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,37,873 करोड़) की 51.1 प्रतिशत थी। बकाया प्रत्याभूतियाँ मुख्यतः पाँच

विद्युत् कम्पनियों (₹ 57,193 करोड़), शहरी विकास एवं आवास क्षेत्र (₹ 4,696 करोड़), एक सड़क एवं परिवहन निगम (₹ 2,758 करोड़) एवं सात सहकारी संस्थाओं (₹ 4,766 करोड़) से संबंधित थी। कर्जे/ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान हेतु, बॉण्ड/ऋण पत्रों को जारी कर राशि प्राप्त करने एवं निर्दिष्ट दरों पर ब्याज चुकाने के लिए विद्युत् कम्पनियों को प्रत्याभूतियाँ दी गई थी।

वर्ष 2018-19 के दौरान, बकाया प्रत्याभूति का अनुमानित प्राप्तियों से अनुपात (33.8 प्रतिशत) एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सीमा (60.0 प्रतिशत) के भीतर रहा था।

• **प्रत्याभूति ऋण मोचन निधि**

राज्य सरकार ने वर्ष 1999-2000 म. प्रत्याभूति मोचन निधि संस्थापित की। भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि का प्रबन्ध करता है, के दिशा निर्देशों के अनुसार निधि के कोष को बकाया प्रत्याभूतियों के पाँच प्रतिशत के इच्छित स्तर तक धीरे-धीरे बढ़ाना है। प्रत्याभूति मोचन निधि के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 4,080.16 करोड़ का शेष था, जो कि कुल बकाया प्रत्याभूतियों (₹ 70,430 करोड़) का 5.8 प्रतिशत था। इससे अलावा, वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 533.11 करोड़ की प्राप्य राशि के समक्ष ₹ 532.36 करोड़ गारन्टी कमीशन प्राप्त हुआ।

(ii) **बजट से इतर उधार**

राज्य सरकार की राजकोषीय देयताओं के अतिरिक्त, कम्पनियों/निगमों/जिला परिषदों द्वारा विभिन्न राज्य योजनागत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए बाजार/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये उधारों जिन्हें राज्य बजट के बाहर परिलक्षित किया जाता है, की प्रत्याभूतियाँ राज्य सरकार द्वारा दी जाती हैं। यद्यपि, राज्य सरकार यह निर्दिष्ट करती है कि इन कार्यक्रमों के लिए जुटाई गई निधियाँ इन कम्पनियों/निगमों/जिला परिषदों द्वारा जुटाये गए संसाधनों से वहन की जाएगी, तथापि इनमें से कई संस्थानों द्वारा लिए गए उधारों का पुनर्भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है, जो अन्ततोगत्वा राज्य सरकार की देयताएँ हो जाती हैं। तदनुसार, इन्हें बजट से इतर उधार कहा जा सकता है।

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया (जून 2019) कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना (सीएमबीपीएल) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु जिला परिषदों द्वारा शहरी आवास विकास निगम (हुडको) से लिए गए ऋण राशि ₹ 3,948.66 करोड़ के सम्बन्ध में प्रत्याभूति दी।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्थान सरकार ने प्रारम्भिक बकाया शेष ₹ 2,372.91 करोड़ में ₹ 1.15 करोड़ की प्रत्याभूतियों की वृद्धि की और वर्ष 2018-19 के अन्त में ₹ 2,137.42 करोड़ का बकाया शेष छोड़ते हुए ₹ 236.64 करोड़ की प्रत्याभूतियाँ समायोजित की।

यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा, 31 जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में ₹ 236.64 करोड़ मूलधन एवं ₹ 209.64 करोड़ ब्याज के पेटे उनके द्वारा सीएमबीपीएल आवास योजना के लिए, हुडको से लिए गए ऋण के मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हेतु हस्तान्तरित किए गए, जो यह इंगित करता है कि योजनागत व्यय की पूर्ति हेतु राज्य सरकार बजट से इतर उधारों का सहारा ले रही हैं।

1.10.6 सरकार के उधारों का विश्लेषण

राज्य सरकार का लोक ऋण वर्ष 2014-15 के ₹ 1,00,511 करोड़ से 33 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़कर वर्ष 2018-19 म. ₹ 2,33,239 करोड़ हो गया। वर्ष 2018-19 के दौरान यह पिछले वर्ष से 9.9 प्रतिशत बढ़ा। विस्तृत विवरण तालिका 1.39 म. दिया गया है:

तालिका 1.39: वर्ष 2014-19 के दौरान बकाया उधार

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
(अ) आन्तरिक ऋण					
बाजार कर्ज	61,386	75,193	89,518	1,10,445	1,37,267
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज	6,482	7,624	8,377	9,077	9,183
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियाँ	20,126	20,040	18,504	16,968	15,408
अन्य संस्थानों से कर्ज	5,483	45,435*	67,886*	63,754*	57,454*
योग (अ)	93,477	1,48,292	1,84,285	2,00,244	2,19,312
(ब) केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम					
गैर-आयोजना कर्ज	44	39	34	29	24
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	6,980	8,209	11,095	12,024	13,893
अन्य योजनागत कर्ज	10	10	10	10	10
योग (ब)	7,034	8,258	11,139	12,063	13,927
कुल उधार (अ + ब)	1,00,511	1,56,550	1,95,424	2,12,307	2,33,239
वृद्धि दर	15.1	55.8	24.8	8.6	9.9
बाजार कर्ज का कुल ऋण से प्रतिशत	61	48	46	52	59

स्रोत: वित्त लेखे

* इसमें वर्ष 2015-16: ₹ 40,050 करोड़, वर्ष 2016-17: ₹ 62,422 करोड़, वर्ष 2017-18: ₹ 58,272 करोड़ एवं वर्ष 2018-19: ₹ 51,636 करोड़ उद्य के अन्तर्गत बकाया उधार सम्मिलित थे।

वर्ष 2015-19 की अवधि म. केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण और अग्रिम तथा आन्तरिक ऋण के बकाया उधारों म. उत्तरोत्तर बढ़ती प्रदर्शित हुई। कुल उधारों से बाजार ऋण का अंश वर्ष 2017-18 के 52 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 म. 59 प्रतिशत हो गया।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य राजकोषीय पैमाने- राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं प्रारम्भिक घाटा, एक विशिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त प्रबन्धन म. समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखों म. घाटा, प्राप्तियों एवं व्यय के अन्तर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति, सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन की

विवेकशीलता का एक पैमाना होती है। साथ ही, जिस प्रकार घाटे को वित्त पोषित किया जाता है तथा संसाधनों को प्रयुक्त किया जाता है, वह इसके राजकोषीय स्थिति के महत्वपूर्ण संकेतक होते हैं। यह भाग इन घाटों को वित्त पोषित करने की प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण एवं तरीके को दर्शाता है और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एफआरबीएम अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत तय किये गये लक्ष्यों के समक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों के आंकलन को भी प्रस्तुत करता है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्ति


घाटे की प्रवृत्तियाँ तथा जीएसडीपी के सापेक्ष इसके सूचक तालिका 1.40 में सारांशीकृत किये गये हैं:

तालिका 1.40: जीएसडीपी के सापेक्ष घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियाँ

	2014-15	2015-16		2016-17		2017-18	2018-19
		उदय रहित	उदय सहित	उदय रहित	उदय सहित		
राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+)	(-) 3,215	(-) 5,954	(-) 5,954	(-) 9,114	(-) 18,114	(-) 18,535	(-) 28,900
राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+)	(-) 19,000	(-) 23,020	(-) 63,070	(-) 23,946	(-) 46,318	(-) 25,342	(-) 34,473
प्राथमिक घाटा	(-) 8,537	(-) 11,012	(-) 51,062	(-) 6,269	(-) 28,641	(-) 5,622	(-) 12,778
राजस्व घाटा (अधिशेष +)/ जीएसडीपी	(-) 0.5	(-) 0.9	(-) 0.9	(-) 1.2	(-) 2.4	(-) 2.2	(-) 3.1
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	(-) 3.1	(-) 3.4	(-) 9.2	(-) 3.2	(-) 6.1	(-) 3.0	(-) 3.7
प्राथमिक घाटा (अधिशेष +) जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में	(-) 1.4	(-) 1.6	(-) 7.5	(-) 0.8	(-) 3.8	(-) 0.7	(-) 1.4
राजस्व घाटा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में	16.9	25.9	9.4	38.1	39.1	73.1	83.8
राजस्व घाटा राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में	3.5	5.9	5.9	8.4	16.6	14.6	21.0
राजकोषीय घाटा राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में	20.8	25.21	62.89	23.88	42.48	19.91	25.0


स्रोत: वित्त लेखे

संचित्र 1.11 एवं 1.12 वर्ष 2014-19 की अवधि के दौरान, घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।



* उदय रहित

संचित्र 1.12: जीएसडीपी के सापेक्ष घाटे के सूचकों (उदय सहित) की प्रवृत्ति



1.11.1.1 राजस्व अधिशेष/घाटा

राजस्व अधिशेष राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के अन्तर को प्रदर्शित करता है। राजस्व अधिशेष उधारों को कम करने में सहायता करता है।

राज्य सरकार वर्ष 2012-13 में राजस्व अधिशेष से वर्ष 2013-14 में राजस्व घाटे वाले राज्य में परिवर्तित हो गई। वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व घाटा (₹ 28,900 करोड़) पिछले वर्ष (₹ 18,535 करोड़) से ₹ 10,365 करोड़ (55.9 प्रतिशत) बढ़ा। वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों की 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर के समक्ष राजस्व व्यय की वृद्धि दर 14.4 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त, राजस्व प्राप्त के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटे के अनुपात में वृद्धि, वर्ष 2017-18 के 14.6 प्रतिशत से वर्ष 2018-19 में 21 प्रतिशत थी। यह राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की उत्प्लावकता में वृद्धि के कारण थी, जो राजस्व व्यय में वृद्धि की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि को प्रदर्शित करता है।

इस मामले की विस्तृत विवेचना अनुच्छेद 1.2.1 में की गयी है।

सिफारिश 10:

बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे के साथ वृहत राजस्व घाटे की स्थिति (83.8 प्रतिशत) अपने राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए भी उधारों पर राज्य सरकार की बढ़ती निर्भरता का द्योतक है। राज्य सरकार को प्राथमिकता से अपने राजस्व घाटे को कम करने का प्रयास करना चाहिए।

1.11.1.2 राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सामान्यतः सरकार की निवल वृद्धिजन्य देयताओं या इसके अतिरिक्त उधारों को प्रदर्शित करता है। घाटे की पूर्ति या तो अतिरिक्त लोक ऋणों (आन्तरिक या बाह्य) अथवा लोक लेखे की अधिशेष निधियों के उपयोग से की जा सकती है। मुख्य घटकों से संबंधित घाटे की प्रवृत्तियों के साथ राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति तालिका 1.41 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.41: राजकोषीय घाटा तथा उसके मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

अवधि	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा	राजकोषीय घाटा प्रतिशत के रूप में		
				जीएसडीपी से	गैर-ऋण प्राप्तियों से	कुल व्यय से
2014-15	92,346	1,11,346	19,000	3.09	20.6	17.1
2015-16*	1,01,757	1,64,827	63,070	9.25	62.0	38.3
2016-17*	1,10,767	1,57,085	46,318	6.10	41.8	29.5
2017-18	1,42,457	1,67,799	25,342	3.03	17.8	15.1
2018-19	1,53,051	1,87,524	34,473	3.71	22.5	18.4

स्रोत: वित्त लेखे

* इस स्थिति में उदय का प्रभाव सम्मिलित है।

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा वर्ष 2017-18 के 3.03 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 3.71 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2018-19 के दौरान, बाजार ऋण में (₹ 8,264 करोड़) वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा गत वर्ष से ₹ 9,131 करोड़ बढ़ गया।

जीएसडीपी से प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा वर्ष 2017-18 में 3.03 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 3.71 प्रतिशत हो गया, जोकि एफआरबीएम अधिनियम, 2005 में निर्धारित तीन प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था। वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिए राजकोषीय घाटे को नियमित रूप से एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सीमा में नियंत्रित रखने के पश्चात, वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार राजकोषीय घाटे को तीन प्रतिशत के लक्ष्य के अन्तर्गत रखने में असफल रही है।

1.11.1.3 राजकोषीय घाटे के घटक एवं उनके मद-वार वित्तपोषण का स्वरूप

तालिका 1.42, वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ वर्ष 2013-14 से वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के मद-वार निवल संवितरण/बहिर्गमन को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.42: राजकोषीय घाटे के घटक एवं उनके मद-वार वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

		निवल संवितरण/बहिर्गमन					2018-19#		
		2013-14	2014-15	2015-16#	2016-17#	2017-18#	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
(अ) राजकोषीय घाटे की संरचना									
1	राजस्व घाटा/अधिशेष (-)	1,039	3,215	5,954	18,114	18,535	1,37,873	1,66,773	28,900
2	निवल पूँजीगत व्यय	13,654	16,088	21,961	16,952	20,607	20	19,638	19,618
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	496	(-) 303	35,155	11,252	(-) 13,800	15,158	1,113	(-) 14,045
	योग (अ)	15,189	19,000	63,070	46,318	25,342	1,53,051	1,87,524	34,473
(ब) राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का ढँचा									
1	बाजार से उधार	7,175	10,002	13,807	14,325	20,927	33,178	6,356	26,822
2	भारत सरकार से कर्ज	(-) 232	286	1,224	2,881	924	2,642	778	1,864
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी की गयी विशेष प्रत्याभूतियाँ	(-) 745	104	(-) 86	(-) 1,536	(-) 1,536	0	1,560	(-) 1,560
4	मार्गोपाय	-	-	-	-	-	0	0	-
5	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	4,178	2,789	41,094	23,204	(-) 3,432	2,027	8,221	(-) 6,194
6	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	2,521	2,982	3,267	3,380	3,201	12,849	7,466	5,383
7	जमा तथा अग्रिम	(-) 421	1,409	2,255	3,242	5,703	1,51,092	1,47,036	4,056
8	उचन्त एवं विविध	12	(-) 40	59	(-) 119	(-) 27	08	65	(-) 57
9	प्रेषण	(-) 6	(-) 1	(-) 20	(-) 3	10	2,429	2,420	09
10	आरक्षित निधियाँ	267	(-) 28	918	659	836	4,150	3,583	567
	योग (ब)	12,749	17,503	62,518	46,033	26,606	2,08,375	1,77,485	30,890
11	रोकड़ शेष में वृद्धि (-)/कमी (+) (अ-ब)	2,440	1,497	552	285	(-) 1,264	-	-	3,583
12	समग्र घाटा (ब+11)	15,189	19,000	63,070	46,318	25,342	-	-	34,473

इस स्थिति में उदय का प्रभाव सम्मिलित है।

स्रोत: वित्त लेखे

राजकोषीय घाटा, राज्य की कुल उधारों की आवश्यकता है तथा यह राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में, कर्ज एवं अग्रिम सहित राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय का आधिक्य है। राज्य द्वारा अपने राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता को विभिन्न उधारों से पूरा करने की सीमा राजकोषीय घाटे की संरचना को प्रकट करती है।

राजकोषीय घाटे के एक बड़े भाग को बाजार के उधारों से निरन्तर वित्तपोषित किया जाता रहा है। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में इनका अंश वर्ष 2017-18 में 83 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 में 78 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 34,473 करोड़ के राजकोषीय घाटे की पूर्ति, मुख्यतः बाजार के उधार (₹ 26,822 करोड़) से की गई।

1.11.1.4 प्राथमिक घाटा

जबकि राजकोषीय घाटा सामान्यतः अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है, तब ऐसे संसाधनों के एक हिस्से की आवश्यकता ब्याज के भुगतानों के लिये हो सकती है। ब्याज भुगतान पुराने दायित्वों के व्यय को प्रदर्शित करते हैं और वर्तमान आवंटित प्राथमिकताओं से स्वतंत्र होते हैं। असंतुलन की वर्तमान प्रकृति को समझने के लिये, ऐसे भुगतानों को कुल असंतुलन से अलग करने और घटाने की आवश्यकता होती है।

वर्ष 2011-12 तक प्राथमिक अधिशेष कायम रखा गया था। पूँजीगत व्यय में वृद्धि हो जाने के कारण प्राथमिक अधिशेष वर्ष 2012-13 में प्राथमिक घाटे में परिवर्तित

हो गया। प्राथमिक घाटा वर्ष 2017-18 में ₹ 5,622 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 12,778 करोड़ हो गया।

1.11.2 ऋण रूपरेखा

राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के अनुपात के रूप में वर्ष 2014-15 में 3.1 प्रतिशत तथा वर्ष 2015-16 में 9.2 प्रतिशत था। यह वर्ष 2018-19 में घटकर 3.7 प्रतिशत रह गया। तथापि राज्य में पिछले पांच वर्षों के दौरान कभी भी राजस्व अधिशेष या प्राथमिक अधिशेष को दर्ज नहीं किया गया है। ऋण स्थिरता का आंकलन करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण हैं उनमें से एक डोमार मॉडल⁴¹ है। इस दृष्टिकोण का उपयोग करके ऋण स्थिरता का विश्लेषण किया गया था।

विवरण निम्न प्रकार है:

जी-आर (जी: वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर; आर: वास्तविक ब्याज दर जिसे डोमार गैप कहा जाता है।)	एस<0 (प्राथमिक घाटा)	एस>0 (प्राथमिक अधिशेष)
जी-आर>0 (मजबूत आर्थिक वृद्धि)	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से अधिक एक स्थिर स्तर में परिवर्तित करना चाहिए।	जीएसडीपी के रूप में लोक ऋण को शून्य से कम एक स्थिर स्तर में परिवर्तित करना चाहिए, जो बचत की स्थिति होगी।
जी-आर<0 (धीमी आर्थिक वृद्धि)	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को एक स्थिर स्तर तक परिवर्तित किये बिना, अनिश्चितकाल तक बढ़ना चाहिए।	अपरिभाषित स्थिति

राजस्थान के लिए लागू विश्लेषण का परिणाम निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	वास्तविक वृद्धि दर (जी*)	वास्तविक ब्याज दर (आर**)	जी-आर (डोमार गैप)	प्राथमिक घाटा/ अधिशेष (एस)	टिप्पणी
2014-15	7.3	0.7	6.6	-8537	जी-आर>0 तथा एस<0, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण एक स्थिर स्तर तक पहुंच जायेगा, यद्यपि यह शून्य से अधिक के स्तर पर होगा।
2015-16	8.0	2.2	5.8	-51062	
2016-17	5.6	3.1	2.5	-28641	
2017-18	6.4	4.4	2.0	-5622	
2018-19	7.3	4.3	3.0	-12778	

* वास्तविक वृद्धि दर की गणना वास्तविक जीडीपी के लिए की गयी है।

** वास्तविक ब्याज दर की गणना ब्याज दर में से मुद्रास्फीति को घटाकर की गयी है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-19 में ऋण का जीएसडीपी से अनुपात 33.5 प्रतिशत तथा राजकोषीय घाटे का जीएसडीपी से अनुपात 3.71 प्रतिशत था। चौदहवें वित्त आयोग के राजकोषीय लक्ष्यों के समक्ष ऋण की सीमा 24.4 प्रतिशत तथा राजकोषीय घाटे से जीएसडीपी की सीमा 3 प्रतिशत थी। राज्य का पूंजीगत व्यय वर्ष 2014-19 के दौरान 14.5 प्रतिशत तथा 10.5 प्रतिशत के मध्य रहा।

⁴¹ ई.डी.डोमार, 1914-1997

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान यह देखा गया कि जी-आर (डोमार गैप) सकारात्मक रहा तथा डोमार मॉडल के अनुसार, लोक ऋण की स्थिति को स्थिर कहा जायेगा। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि जी-आर (डोमार गैप) लगातार बढ़ती प्रवृत्ति को दर्ज नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त, पाँच वर्षों की उल्लेखित अवधि अर्थात् वर्ष 2014-15 से 2018-19 में प्राथमिक घाटा रहा है। अन्य कारक जैसे लोक लेखा देयताओं तथा अप्रत्याशित घटनाओं⁴², राजस्व की किसी गैर मदीय हानि को भी राज्य की ऋण धारणीयता/स्थिरता⁴³ का आंकलन करने में विचार करना होगा।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात तथा प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे एवं पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित) में संयोजन, राज्य वित्तीय घाटे की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात उस सीमा जिस तक उधार ली गयी निधियों का वर्तमान उपभोग हेतु उपयोग किया गया, को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त, राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से निरन्तर उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार लगातार कम होता जा रहा है तथा उधार के एक भाग (राजकोषीय देयतायें) के लिए पर्याप्त परिसम्पत्तियां उपलब्ध नहीं हैं। तालिका 1.40 के अनुसार, यह प्रकट हुआ कि राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात वर्ष 2014-15 में 16.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 83.8 प्रतिशत हो गया। यह इंगित करता है कि राज्य के उधार का वृहत भाग राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा रहा है।

प्राथमिक घाटे के विभाजन (तालिका 1.43) में घाटे की उस सीमा को दर्शाया गया है, जो पूँजीगत व्यय में वृद्धि का कारण है, जो राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार करने के लिए वॉल्लित होगा।

तालिका 1.43: प्राथमिक घाटा/अधिशेष-घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय ⁴⁴	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय पर गैर ऋण प्राप्ति का आधिक्य	प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2014-15	92,346	84,079	16,103	701	1,00,883	(+) 8,267	(-) 8,537
2015-16	1,01,757	94,231	21,986	36,602	1,52,819	(+) 7,526	(-) 51,062
2016-17	1,10,767	1,09,463	16,980	12,965	1,39,408	(+) 1,304	(-) 28,641
2017-18	1,42,457	1,26,122	20,623	1,334	1,48,079	(+) 16,335	(-) 5,622
2018-19	1,53,051	1,45,078	19,638	1,113	1,65,829	(+) 7,973	(-) 12,778

स्रोत: वित्त लेखे।

⁴² जैसे वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी तथा इसका जीएसडीपी पर प्रभाव।

⁴³ चूँकि इनका पूर्वानुमान या सांख्यिकीय निर्धारण नहीं किया जा सकता है, इसलिये इनको विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है।

⁴⁴ प्राथमिक राजस्व व्यय = राजस्व व्यय - ब्याज भुगतान।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 के दौरान, गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।


प्राथमिक व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश वर्ष 2014-15 के 16 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017-18 में 14 प्रतिशत रह गया एवं यह वर्ष 2018-19 में और घटकर 12 प्रतिशत रह गया। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 में, गैर-ऋण प्राप्तियों तथा प्राथमिक व्यय में क्रमशः ₹ 10,594 करोड़ एवं ₹ 17,750 करोड़ की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप प्राथमिक घाटे में ₹ 7,156 करोड़ की वृद्धि हुई।

राज्य सरकार का प्राथमिक घाटा वर्ष 2014-15 के ₹ 8,537 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 12,778 करोड़ हो गया, जबकि पूँजीगत व्यय का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 16 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 में 12 प्रतिशत रह गया। तथ्य यह है कि गैर-ऋण प्राप्तियाँ राज्य के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

1.12 ऋण प्रबन्धन

(i) ऋण परिपक्वता रूपरेखा

31 मार्च 2019 को राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा (विभिन्न वर्षों में ऋणों की प्रत्येक श्रेणी के सम्बन्ध में देय राशि) संचित्र 1.13 में दर्शायी गयी है:



संचित्र 1.13 म. दर्शाये गये आँकड़ों के अनुसार, ₹ 14,575.81 करोड़ के ऋणों की परिपक्वता रूपरेखा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थी। लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा दर्शाती है कि राज्य सरकार की ऋण की पुर्नअदायगी देयता, अवधि वर्ष 2019-20, 2020-22 एवं 2022-24 के दौरान क्रमशः ₹ 17,701.95 करोड़, ₹ 32,949.36 करोड़ एवं ₹ 36,459.13 करोड़ होगी जो उस अवधि के दौरान सरकार के बजट पर दबाव डाल सकती है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के अन्त में कुल लोक ऋण (₹ 2,33,238.88 करोड़) का लगभग 34.1 प्रतिशत (₹ 79,529.46 करोड़) 7 से 10

वर्ष की परिपक्वता अवधि से संबंधित था। इसलिए, राज्य सरकार को ऋण जाल में फंसने से बचाने के लिए एक सुविचारित ऋण अदायगी की रणनीति पर काम करना होगा।

सिफारिश 11:

राज्य सरकार को अपनी बढ़ती देयता दायित्वों को पूरा करने लिए बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार एक “समेकित सिंकिंग निधि” उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए।

(ii) ऋण धारणीयता

ऋण धारणीयता को भविष्य में उसके ऋणों को चुकाने की सेवा के लिए राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है। अतः ऋण की धारणीयता वचनबद्ध देयताओं को चुकाने के लिए तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत का इन उधारों से प्राप्त प्रतिलाभ के साथ संतुलन बनाये रखने की क्षमता भी है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि, ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के सादृश्य होनी चाहिए। वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ पाँच वर्षों की अवधि के लिए राज्य के ऋण की धारणीयता का विश्लेषण इन सूचकों के अनुसार तालिका 1.44 में किया गया है।

तालिका 1.44: ऋण की धारणीयता: सूचक एवं प्रवृत्तियाँ

ऋण के धारणीयता के सूचक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बकाया ऋण की वृद्धि दर	13.6	41.9	21.8	10.3	10.7
जीएसडीपी की वृद्धि दर	11.7	10.7	11.3	10.1	11.2
बकाया ऋण की औसत ब्याज दर	7.5	6.7	7.6	7.3	7.3
ब्याज अदायगी/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)	11.5	12.0	16.2	15.5	15.7
लोक ऋण एवं अन्य देयताओं के अर्न्तगत प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	1,34,644	1,99,313	2,01,683	1,86,325	2,08,734
लोक ऋण एवं अन्य देयताओं के अर्न्तगत पुर्नभुगतान (मूलधन एवं ब्याज) (₹ करोड़ में)	1,27,408	1,49,544	1,73,744	1,79,865	2,00,237
ऋण मोचन ((मूलधन + ब्याज अदायगी)/ऋण प्राप्तियाँ) (प्रतिशत में)	94.6	75.0	86.1	96.5	95.9
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता (₹ करोड़ में) (प्रतिशत में)	7,236 (5.4)	49,769 (25.0)	27,939 (13.9)	6,460 (3.5)	8,497 (4.1)

• **उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता**

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को ऋण मोचन (मूलधन+ब्याज अदायगी) की कुल ऋण प्राप्तियों से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा यह ऋण प्राप्तियों की उस मात्रा, जिस तक ये पुराने ऋण के मोचन में उपयोग में आयी है, को इंगित करता है।

ब्याज एवं अदायगी का प्रावधान करने के पश्चात् वर्तमान परिचालनों हेतु उधारों से उपलब्ध निवल कोष वर्ष 2014-15 में ₹ 7,236 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 8,497 करोड़ हो गया था।

● **ब्याज भार**

ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात राज्य की ऋण की धारणीयता को सुनिश्चित करता है। वर्ष 2018-19 के दौरान, ब्याज अदायगियाँ गत वर्ष से 0.2 प्रतिशतता बिन्दु बढ़ी एवं राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 15.7 प्रतिशत रही।


(iii) **लोक ऋण की सेवाएँ**

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए लोक ऋण पर ब्याज अदायगी तथा मूलधन पुर्नअदायगी को तालिका 1.45 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.45: लोक ऋण की सेवाएँ

(₹ करोड़ में)

अवधि	लोक ऋण									ऋण सेवाएँ			
	लोक ऋण प्राप्तियाँ			मूलधन की पुनअदायगी			ब्याज अदायगी			(मूलधन की पुनअदायगी + ब्याज अदायगी)			प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में (13/4)*100
	आन्तरिक ऋण	भारत सरकार से कर्ज	योग (2 + 3)	आन्तरिक ऋण	भारत सरकार से कर्ज	योग (5 + 6)	आन्तरिक ऋण	भारत सरकार से कर्ज	योग (8 + 9)	आन्तरिक ऋण (5 + 8)	भारत सरकार से कर्ज (6 + 9)	योग (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2014-15	17,346	795	18,141	4,451	509	4,960	7,146	474	7,620	11,597	983	12,580	69.3
2015-16	59,249	1,749	60,998	4,434	525	4,959	8,423	449	8,872	12,857	974	13,831	22.7
2016-17	40,434	3,455	43,889	4,441	574	5,015	14,002	437	14,439	18,443	1011	19,454	44.3
2017-18	27,000	1,557	28,557	11,041	633	11,674	15,797	417	16,214	26,838	1050	27,888	97.7
2018-19	35,205	2,642	37,847	16,137	778	16,915	17,358	446	17,804	33,495	1224	34,719	91.7
योग	1,79,234	10,198	1,89,432	40,504	3,019	43,523	62,726	2,223	64,949	1,03,230	5,242	1,08,472	



तालिका 1.45 एवं संचित्र 1.14 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2017-18 के लोक प्राप्तियों में से ऋण सेवाओं का भुगतान 98 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान 92 प्रतिशत रहा। इस प्रकार, वर्ष 2014-19 के दौरान ऋण एवं ब्याज की अदायगी पर औसत व्यय ₹ 21,694 करोड़ रहा जो कि इसी अवधि के दौरान औसत लोक ऋण प्राप्तियों (₹ 37,886 करोड़) का 57.3 प्रतिशत था।

1.13 अनुपालन

वर्ष 2017-18 के लिए राज्य वित्त पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल में जुलाई 2019 में प्रस्तुत की गई। तथापि, जन लेखा समिति (पीएसी) में यह रिपोर्ट चर्चाधीन है। पीएसी वर्ष 2015-16 तक की राज्य वित्त की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा एवं सिफारिशें कर चुकी है।

इसके अतिरिक्त, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के आदेश (दिसम्बर 1996) के अनुसार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में वर्णित सभी अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणी (एटीएन) को पीएसी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो कि राज्य विधानमंडल में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के तीन माह के भीतर लेखापरीक्षा की संवीक्षा सहित विधिवत रूप से उपलब्ध कराये जाएंगे। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल अनुच्छेदों पर बकाया एटीएन की संवीक्षा में पाया गया कि सम्बन्धित विभागों⁴⁵ से आठ एटीएन नवम्बर 2019 तक लम्बित थे।

⁴⁵ पशुपालन, उपनिवेश, संचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, पर्यावरण, वन, भू-जल, उच्च शिक्षा, बागवानी, उद्योग, श्रम एवं रोजगार, न्याय एवं कानून, स्थानीय निकाय, स्वायत्त शासन, चिकित्सा शिक्षा, अल्पसंख्यक मामलात, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी, ग्रामीण विकास, संस्कृत शिक्षा, सैनिक कल्याण, पर्यटन, परिवहन, कोषलय एवं लेखा, जल संसाधन एवं जल संग्रहण विकास एवं भू संरक्षण।